

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2011/DCE/1801-III/567-93 दिनांक :: 9 दिसम्बर, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को प्रातः 11.00 बजे श्री रमेश के. जैन, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या :: गत बैठक दिनांक 23 जून, 2011 में लिये गये
1 निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 23 जून, 2011 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। उक्त कार्यवाही विवरण प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श कार्यवाही का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने गत प्राधिकरण की बैठकों में लिये गये निर्णयों की समय पर पालना नहीं होने की स्थिति में गम्भीरता से लिया है एवं निर्देश प्रदान किये कि संबंधित अधिकारी (उपायुक्तगण एवं निदेशकगण) आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से गत बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या :: प्राधिकरण के विभिन्न नियमों को मंजूरी
2

बैठक में निम्नलिखित नियम जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में लागू करने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत हुए:-

- (i) JDA कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम 1984
- (ii) JDA कर्मचारी IV Class (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम, 1984
- (iii) JDA कर्मचारी (CCA) विनियम, 1984
- (iv) JDA कर्मचारी आचरण विनियम, 1983
- (v) JDA (योजनाओं की तैयारी व मंजूरी) नियम, 1983
- (vi) JDA (कार्य संचालन) नियम, 1983
- (vii) JDA (कार्यकारी समिति व अन्य समितियों का कार्य संचालन) नियम, 1983
- (viii) JDA (भवन अनियमित निर्माण नियमतीकरण) नियम, 1989
- (ix) JDA (Custody and disposal of seized Articles) Regulation, 1988
- (x) JDA (समितियों का गठन व कर्तव्य निर्धारण) नियम, 2001
- (xi) JDA अध्यक्ष के अधिकार निर्धारण नियम, 2000
- (xii) JDA सदस्यों को भत्तों का संदाय नियम, 1983

OK
①

बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त नियमों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित निदेशक-वित्त, निदेशक-आयोजना को उक्त नियमों की प्रासंगिकता के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया और निदेशक-वित्त से दूरभाष पर जानकारी ली गयी। विचार विमर्श के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण में लागू उक्त नियमों/विनियमों को जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिए प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 92 के तहत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राधिकरण अधिनियम की धारा 91 के तहत राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: नवीन योजनाओं की मंजूरी

3

प्राधिकरण की निम्नलिखित नवीन प्रस्तावित योजना प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ:-

3(1) मोगडा कर्मचारी कॉलोनी:-

राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 213 जिसका कुल रकबा 114-67 बीघा अर्थात् 185687 वर्ग मीटर है, पर एक आवासीय योजना बनायी जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि जोधपुर - पाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है तथा ग्राम मोगडा में बायी ओर स्थित है। योजनान्तर्गत जिला कलेक्टर कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय एवं प्राधिकरण के ऐसे कार्मिकों व अधिकारियों को प्राथमिकता से भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है जिनके स्वामित्व में 50000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर में मकान/भूखण्ड नहीं है। प्रस्तावित योजना जोधपुर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा विवेक विहार योजना से मात्र 6 किलोमीटर तथा शताब्दी सर्कल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित योजना के समीप ही प्रेस्कॉन सिटी, आशियाना, अमरबाग, अंसल सिटी आदि निजी आवासीय कॉलोनियां तथा जीत इंजिनियरिंग कॉलेज एवं नवीन राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है।

प्रस्तावित योजना में कुल 373 भूखण्डों का प्रावधान किया गया है जिसमें 50 फीट गुणा 90 फीट आकार के 44 भूखण्ड, 40 फीट गुणा 60 फीट आकार के 22 भूखण्ड, 35 फीट गुणा 60 फीट आकार के 114 भूखण्ड, 30 फीट गुणा 60 फीट आकार के 105 भूखण्ड, 30 फीट गुणा 50 फीट आकार के 18 आवासीय भूखण्डों का प्रावधान किया गया है, जो योजना के कुल क्षेत्र का 39.21 प्रतिशत है। प्रस्तावित योजना में एल.आई.जी.एच. व ई.डब्ल्यू.एस. ग्रुप हाऊसिंग हेतु 3.86 प्रतिशत भूमि का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना में 6 व्यवसायिक भूखण्डों का प्रावधान किया गया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 4907.37 वर्ग गज है। उक्त योजना में हॉस्पिटल, स्कूल व पी.एच.ई.डी. हेतु योजना के कुल क्षेत्र का 10.96 प्रतिशत (24384.28 वर्ग गज) भूमि आरक्षित रखी गयी है। योजना में खुला क्षेत्र, पार्क एवं वृक्षारोपण पट्टी हेतु योजना के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत (22231.37 वर्ग गज) भूमि का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित योजना में 100 फीट, 80 फीट एवं 40 फीट चौड़ी सड़कों का प्रावधान किया गया है जिनका क्षेत्रफल 75096 वर्ग गज (33.76 प्रतिशत) है।

अतः प्राधिकरण के समक्ष योजना विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त योजना का इन संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया कि उक्त योजना में जोधपुर जिले में पदस्थापित सभी राजकीय कर्मचारियों को आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जावे एवं राज्य सरकार को तदनुसार नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 18-बी के तहत स्वीकृति के लिए पुनः लिखा जावे।

2

Ok
D

3(2) लोरडी पण्डितजी संस्थानिक योजना:-

राजस्व ग्राम लोरडी पण्डित जी में खसरा संख्या 98, 100, 104 मीन, 103 मीन की कुल 947 बीघा भूमि में से लगभग 200 बीघा भूमि सेना विभाग के द्वारा घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र व वन विभाग के लिए आरक्षित भूमि को छोड़कर शेष 747 बीघा भूमि (1208929 वर्ग मीटर भूमि) पर संस्थानिक क्षेत्र बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को जयपुर हाई-वे को जोड़ने वाली लिंक हाई-वे रोड पर स्थित है। प्रस्तावित योजना क्षेत्र की रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 25 किलोमीटर है तथा प्रस्तावित योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, केयर्न एनर्जी प्रबन्धन संस्थान, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी केन्द्र आदि से मात्र 2 - 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त प्रस्तावित योजना में 3000 वर्ग मीटर से लेकर 134,660 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। उक्त भूखण्ड मेडिकल कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, प्रबन्धन संस्थान व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को आवंटन के लिए प्रस्तावित किये गये हैं जिन्हें जोधपुर विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक दर पर नियमानुसार आवंटन किया जावेगा। उक्त स्थान से माणकलाव पेयजल परियोजना मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

अतः प्राधिकरण के समक्ष योजना विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श के उपरान्त उक्त संशोधित योजना का अनुमोदन राज्य सरकार से भू-उपयोग परिवर्तन कराने की शर्त पर किया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त योजना अन्तर्गत भूखण्डों का आवंटन यथा सम्भव नीलामी से किया जावे।

3(3) डिगाडी, भदवासिया आवासीय योजना:-

ग्राम डिगाडी, भदवासिया व पून्दला में स्थित कृषि भूमि को अवाप्त की जाकर जोधपुर शहर के हृदय स्थल पर एक भव्य आवासीय योजना बनायी जा सकती है। इस हेतु ग्राम डिगाडी कलां के काश्तकारों से लगभग 415 बीघा 5 बिस्वा भूमि व राजकीय भूमि 83 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 495 बीघा 2 बिस्वा भूमि एवं ग्राम भदवासिया के काश्तकारों की कुल 328 बीघा एवं ग्राम पून्दला के काश्तकारों की 327 बीघा भूमि अवाप्त की जाकर एक बेहतर आवासीय योजना बनायी जा सकती है। उक्त प्रस्तावित आवासीय योजना वर्तमान में बिग्रेडियर जब्बरसिंह कॉलोनी व नागौर बाईपास के बीच में स्थित भूमि है जो शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर सघन आवादी क्षेत्र के बीच अवस्थित है तथा प्रस्तावित स्थल से 7 किलोमीटर आगे तक सघन आवादी वर्तमान में बस चुकी है। इसके अतिरिक्त इसके आसपास क्षेत्र में भूमि का बाजार मूल्य 5000/- रुपये प्रति वर्ग गज से 10000/- रुपये प्रति वर्ग गज के बीच है। कुल प्रस्तावित योजना का क्षेत्रफल लगभग 1050 बीघा होगा।

अतः प्राधिकरण के समक्ष योजना विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से योजना का अनुमोदन किया गया और उक्त योजना की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त तीनों योजनाओं में आरक्षित दर का निर्धारण किये जाने के लिए आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। उक्त समिति में सचिव, निदेशक-अभियांत्रिक, निदेशक-वित्त, निदेशक-आयोजना, संबंधित उपायुक्त व अधिशाही अभियन्ता सदस्य होंगे। उक्त समिति समस्त प्रासंगिक आधारों को ध्यान में रखते हुए आरक्षित दर का निर्धारण करेगी एवं अनुमोदन के लिए अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी।

OK
Dm

प्रस्ताव संख्या 4 :: कमला नेहरू नगर सेक्टर-ए प्रथम विस्तार के भूखण्ड संख्या 21 से 26 एवं 64 में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने बाबत।

शासन उप सचिव, तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर पे पत्र क्रमांक प. 3 (326) नविवि/3/2011 दिनांक 10 अगस्त, 2011 द्वारा कमला नेहरू नगर सेक्टर-ए प्रथम विस्तार के भूखण्ड संख्या 21 से 26 एवं 64 में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने के बारे में प्राप्त शिकायत प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एम.के. खन्न (जांच अधिकारी) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 27 मई, 2011 की प्रति संलग्न कर उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर स्थगन आदेश निरस्त करवाने तथा माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तत्कालीन समझौता समिति/न्यास निर्णय परपुनः विचार कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करने तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर अनियमितताओं के लिए तत्कालीन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मय आरोप-पत्र, आरोप विवरण पत्र के परिपूर्ण प्रस्ताव पन्द्रह दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

तत्कालीन समझौता समिति व न्यास के निर्णय एवं जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-3 संलग्न है। राज्य सरकार ने संलग्न जांच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन न्यास के निर्णयों एवं समझौता समिति के निर्णय जिनके द्वारा भूखण्ड आवंटन किये गये थे, को पुनः विचार कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। अतः न्यास के संबंधित निर्णय व समझौता समिति के प्रस्ताव पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रभावित व्यक्तियों की सुनवाई के लिए आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति गठित की जावे। उक्त समिति में निदेशक-विधि एवं उपायुक्त-पश्चिम सदस्य होंगे। उक्त समिति सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई एवं रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डों पर निर्माण आदि की स्थिति यथावत् बनायी रखी जावे। इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर (विशेष आमंत्रित) को निर्देश दिये गये कि उक्त भूखण्डों की वर्तमान स्थिति की वीडियोग्राफी करावें एवं यथा स्थिति बनाये रखने के लिए समुचित कार्यवाही करें। साथ ही विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक स्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराने के लिए निदेशक-विधि एवं उपायुक्त-पश्चिम तत्पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान बनाये जाने के बारे में विचार विमर्श

राज्य सरकार द्वारा जोधपुर शहर के नियोजित विकास के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण का गठन जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 के तहत किया गया है। उक्त अधिसूचना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले 235 राजस्व ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। जिनका मास्टर प्लान बनाया जाना है। पूर्व में नगर विकास न्यास, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में 72 ग्राम थे। प्रचलित मास्टर प्लान वर्ष 2001-2023 तक के लिए 72 ग्रामों का बनाया गया है। अतः शेष रहे ग्रामों का परिधि नियंत्रण

OK
Qm

पट्टी में मान लिये जाने से समस्याएं आ रही हैं। अतः शेष ग्रामों का मास्टर प्लान बनाया जाना है। इसके लिए प्रमुख शासन सचिव महोदय ने आवास विकास लिमिटेड को निर्देशित किया है। प्राधिकरण अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राधिकरण को शक्तियां प्राप्त हैं।

उक्त कार्य के पर्यवेक्षण एवं कार्य में सुझाव देने हेतु आयुक्त/सचिव, प्राधिकरण की अध्यक्षता में निदेशक-अभियांत्रिक, निदेशक-आयोजना एवं संबंधित उपायुक्त की सदस्यता में समिति गठित की जानी प्रस्तावित है जो समिति मास्टर प्लान बनाये जाने के कार्य का पर्यवेक्षण करने एवं सुझाव देने हेतु प्रत्येक 15 दिवस में बैठक आयोजित करेगी तथा उक्तानुसार कार्य का पर्यवेक्षण एवं सुझाव देगी।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त ग्रामों का मास्टर डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के लिए मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को राज्य सरकार के निर्देशानुसार लिखा जावे कि वे इसके लिए एजेन्सी तय कर आगामी 6 माह में उक्त मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देवें। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य के पर्यवेक्षण एवं मोनेटरिंग के लिए सचिव प्राधिकरण, वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर, उप नगर नियोजक नगर निगम, निदेशक-अभियांत्रिक प्राधिकरण, निदेशक-आयोजना प्राधिकरण एवं उपायुक्तगण की समिति आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित की जावे। उक्त समिति संबंधित एजेन्सी के अधिकारियों के साथ प्रत्येक 15 दिवस में बैठक आयोजित कर मास्टर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव संख्या :: जन सहभागिता के आधार पर 50 एमएलडी का
6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने के बारे में
विचार

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा जोधपुर प्रवास के दौरान दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को नगर निगम, जोधपुर में ली गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सालावास में निर्माधीन 50 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Air routed sudge process) के समीप एक अतिरिक्त 50 एमएलडी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (ASP) का निर्माण जनसहभागिता के आधार पर कराने का निर्णय लिया गया तथा प्रस्तावित प्लांट के लिए नोडल एजेन्सी नगर निगम, जोधपुर होगी। उपरोक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का Bid document तैयार करने के लिए श्री एस.पी. जैन, डिप्टी टीम लीडर, पी.एम.सी., आरयूआईडीपी, जयपुर नगर निगम, जोधपुर को सहयोग करेंगे। उक्त अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण प्राधिकरण अथवा नगर निगम, जोधपुर द्वारा करवाया जाना है, इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णयार्थ प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान विशेष आमंत्रित सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने अवगत कराया कि उक्त सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 50 एम.एल.डी. का सालावास में बनाये जाने एवं 20 एम.एल.डी. का बासनी बेंदा में बनाये जाने के लिए नगर निगम, जोधपुर द्वारा जन सहभागी पद्धति में निविदा आमंत्रित की गयी है। जो आगामी 13 दिसम्बर, 2011 को प्राप्त होगी। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर उक्त सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जाने के संबंध में प्रगति से समय समय पर प्राधिकरण को अवगत करायेंगे।

ok
Bm

इसी प्रकार जोधपुर में प्रदूषित औद्योगिक जल के उपचार के लिए जोधपुर प्रदूषण नियंत्रण ट्रस्ट के द्वारा भूमि आवंटन के लिए मांग की गयी है। ट्रस्ट द्वारा मांग नगर निगम, जोधपुर में प्रस्तुत की गयी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं बताया गया कि उक्त भूमि प्राधिकरण द्वारा अभी निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया है। रीको एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निपटारा लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सालावास में बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के समीपस्थ भूमि में से 25 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा तय की गयी दरों पर रीको को आवंटित करें। रीको द्वारा तदनुसार भुगतान किया जावेगा।

प्रस्ताव संख्या 7 :: विवेक विहार योजना की वर्तमान वस्तुस्थिति के बारे में विचार

1- विवेक विहार योजना में आवेदन-पत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि दिनांक 1 अगस्त, 2011 एवं आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 5 अगस्त, 2011 नियत है। उक्त तिथियों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर अवगत कराया गया कि आदिनांक तक 50,700 आवेदन-पत्र विक्रय हो चुके हैं तथा करीब 2100 आवेदन-पत्र जमा हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ से विवेक विहार योजना संबंधी स्थगन आदेश बावजूद केवियट प्रस्तुत करने के पारित किया गया है। उक्त समग्र परिस्थिति में विवेक विहार योजना से संबंधित आवेदन पत्र विक्रय एवं जमा कराने की अन्तिम तिथि को पुनर्निर्धारण हेतु सर्वसम्मति से आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अधिकृत किया गया। तदनुसार अन्तिम तिथि दिनांक 20 अगस्त, 2011 व लॉटरी की तिथि पूर्ववत् 9 सितम्बर, 2011 रखी गयी है। कार्यकारी समिति का उक्त निर्णय पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

2- दिनांक 16 सितम्बर, 2011 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

प्रस्ताव संख्या 2 :: विवेक विहार योजना के संबंध में विचार विमर्श।

विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन के लिए दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को उम्मेद स्टैडियम में जन प्रतिनिधिगणों एवं अध्यक्ष प्राधिकरण महोदय की मौजूदगी में निकाली गयी थी। उक्त लॉटरी में विभिन्न श्रेणियों के भूखण्ड आवंटन किये हुए हैं। लॉटरी प्रक्रिया के परिणाम दिखाने वाली तालिका में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि, "The lottery is being drawn on the basis of facts given in the application form by the applicants. The facts have not been verified / scrutinized by the Jodhpur Development Authority. If later on, the facts mentioned in the application form are found to be incorrect or found hidden, allotment will be cancelled and applicant's name will be deleted from the list. The result of the lottery and allotment subsequent to the lottery shall be subject to decision of Hon'ble High Court in pending writ petition No 6383/2011 and other pending court matters. लॉटरी प्रक्रिया में पूर्व में विभिन्न 11 निर्धारित बैंकों में आवेदकों से आवेदन दिनांक 20 अगस्त, 2011 तक लाईन फीडिंग किया जाना एवं प्राप्त आवेदन-पत्र साप्ताहिक रूप से जमा कराये जाने का दायित्व उक्त बैंकों का रखा गया था। इसके लिए बैंकों के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। प्राधिकरण कार्यालय में विभिन्न बैंकों को एवं सीधे प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की प्रारम्भिक/सरसरी जांच के लिए बैंकवार कुल 11 दल बनाये गये एवं इसके लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री विजयकुमार सोनेजी की अध्यक्षता में पृथक से एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। उक्त 11 जांच दलों को एक एक कनिष्ठ अभियन्ता

आवश्यकतानुसार लिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की सुविधा दी गयी थी ताकि आवेदन-पत्रों की सरसरी जांच में सामने आने वाली त्रुटियों का शुद्धिकरण ऑन लाईन साफ्टवेयर में किया जा सके। दिनांक 2 सितम्बर, 2011 को प्राधिकरण कार्यालय में पदस्थापित समस्त आयुक्तगण, अभियन्तागण, तहसीलदारगण, लेखा कर्मी, लिपिक एवं सचिव को लगाया गया था। विभिन्न बैंकों में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों एवं ऑनलाईन साफ्टवेयर में फीडिंग किये जाने एवं प्राधिकरण कार्यालय में जमा करा दिये जाने के संबंध में बैंक के नोडल प्रबन्धकों से लिखित प्रमाण-पत्र लिया गया है कि उनके या उनके अधीनस्थ शाखाओं को निर्धारित तिथि तक प्राप्त कोई भी आवेदन-पत्र फीडिंग किये जाने एवं जमा कराये जाने से शेष नहीं हैं। कार्यकारी समिति द्वारा पूर्व में ही दिनांक 19 मई, 2011 की बैठक में स्थायी लॉटरी समिति गठित कर दी थी, उस समिति के सदस्यों की मौजूदगी में दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को लॉटरी निकाली गई है। प्राधिकरण द्वारा योजना की बुकलेट जिसमें लॉटरी तिथि का भी उल्लेख है दिनांक 23 जून, 2011 में वाद अवलोकन अनुमोदन कर दिया था। लॉटरी का परिणाम प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है। लॉटरी के परिणाम के संबंध में कतिपय आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त आवेदन-पत्रों के निराकरण किये जाने के लिए प्रकरण निम्न अनुसार प्रस्तुत हुआ:-

1- भूखण्ड का आकार 195.1 वर्ग मीटर वाले वर्ग में कुल भूखण्ड 608 विज्ञापित किये गये थे। लॉटरी में उक्त आकार वर्ग के 475 भूखण्डों का ही आवंटन हुआ है। उक्त श्रेणी में सैनिक वर्ग के 53, अनुसूचित जाति वर्ग के 37, अनुसूचित जन जाति वर्ग के 30, निशक्तजन के 10, पत्रकार वर्ग में 3 भूखण्ड इस प्रकार कुल 133 भूखण्डों का आवंटन कम हुआ है। उक्त भूखण्डों के आवंटन के लिए वर्गवार शेष रहे आवेदकों के लिए लॉटरी निकाली जानी है।

वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को शेष रहे भूखण्डों के लिए अवशेष पात्र आवेदकों में से कम्प्यूटर से लॉटरी निकाली जावे।

2- कतिपय आवेदकों द्वारा अपने वास्तविक वर्ग के बजाय अन्य आरक्षित वर्ग में आवेदन करने एवं लॉटरी में उनके सफल होने की स्थिति भी सामने आयी है। ऐसे प्रकरणों में बैंक द्वारा की गयी गलत फीडिंग भी एक कारण है। गलत वर्ग में आवेदन करने वाले आवेदकों के भूखण्ड आवंटन निरस्त कर पंजीकरण राशि जब्त किया जाना प्रस्तावित है एवं बैंक के द्वारा की गयी फीडिंग की गलती के कारण आरक्षित वर्ग में आने वाले आवेदकों से उनके वास्तविक वर्ग में आवंटन किये जाने प्रस्तावित है। इस बिन्दु में अंकित कारणों से वर्ग विशेष के रिक्त हुए भूखण्डों के उसी वर्ग के लोगों में आवंटन किये जाने के लिए भी लॉटरी किया जाना प्रस्तावित है।

वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ऐसी गलत सूचना देने वाले व गुमराह करने वाले आवेदकों के आवेदन रद्द कर जमानत राशि जब्त की जावे एवं रिक्त होने वाले भूखण्डों के लिए दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को शेष पात्र आवेदकों में से कम्प्यूटर से लॉटरी की जावे।

3- भूखण्ड आकार 92.60 वर्ग मीटर वाले वर्गों में कम्प्यूटर त्रुटि के कारण गलत भूखण्ड संख्या अंकित हुआ है। उक्त भूखण्ड संख्या में संशोधित किये जाने के लिए भी लॉटरी किया जाना प्रस्तावित है।

वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को इसके लिए लॉटरी की जावे एवं उपरोक्त गलतियों (क्रम संख्या 1 व 3) के लिए दोषी राजकाम्म अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

4- सफल आवेदकों के आवेदन-पत्रों की गहनता से जांच किये जाने के लिए प्राधिकरण सचिव, अभियन्तागण, वरिष्ठ लेखाधिकारीगण, अधीक्षण अभियन्ता, निदेशक-लेखा एवं निदेशक-विधि, तहसीलदारगण एवं लिपिकगण को लगाया गया है। कतिपय आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्रों में मूल निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां लगायी हैं। जिन कमियों को पूर्ण करने के लिए संबंधित आवेदकों को वांछित दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस जारी किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति पूर्व योजनाओं की भांति 15 दिवस में वांछित दस्तावेज पेश किये जाने के लिए एक अवसर दिया जावे। नोटिस के बावजूद भी दस्तावेज पेश न करने पर आवेदन खारिज किया जावे।

5- विवेक विहार योजना की लॉटरी प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न आवेदकों की परिवेदनाओं को प्राप्त करने एवं उनके निराकरण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किये जाने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयुक्त महोदया द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 1914-20 दिनांक 9 सितम्बर, 2011 द्वारा कमेटी गठित की गयी है। जो समिति आवेदकों से प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण कर दिनांक 20 सितम्बर, 2011 तक अपनी तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जिसे आगामी कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को यथासम्भव राजीव गॉंधी नगर योजना में लिये निर्णयानुसार प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

6- विवेक विहार योजना की लॉटरी की सूची व परिणाम कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 2011 व दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को हुई लॉटरी प्रक्रिया, परिणामों एवं शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

7- विवेक विहार योजना की अवाप्त सुदा भूमि के नकद मुआवजे के बदले देय विकसित भूमि के मुआवजे की लॉटरी के परिणाम समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इस संबंध में दिनांक 16 सितम्बर, 2011 तक अवार्डधारकों से परिवाद चाहा गया है एवं प्राप्त परिवादों की जांच हेतु कमेटी गठित की गयी है। जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को आगामी बैठक में सुझाव सहित प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 28 सितम्बर, 2011 से पहले कौन-कौन से वर्ग में कितने कितने भूखण्ड रिक्त हो रहे हैं उनकी सूची लेकर वेब-साईट पर डाली जावे।

अतः कार्यकारी समिति में लिये गये उपरोक्तानुसार निर्णय प्राधिकरण के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

3- इसी प्रकार भूखण्ड आकार 92.9 वर्ग मीटर में लॉटरी दिनांक 9 सितम्बर, 2011 में सफल आवेदक के सामने भूखण्ड संख्या कम्प्यूटर त्रुटि से ऐसी अंकित हो गयी है जो

OK
Qm

भूखण्ड आकार 195.1 वर्ग मीटर के भूखण्ड का है। अतः सफल एवं पात्र आवेदक के मध्य लॉटरी निकाल कर उस आकार वर्ग में भूखण्ड नम्बर का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित किया जो दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को किया जा चुका है।

(2) उक्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को आयोजित हुई जिसमें निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये गये:-

1- सफल आवेदकों की जांच एवं परिवेदनाओं में अंकित फार्म नम्बरों से यह स्पष्ट होता है कि कुल 25 आवेदक ऐसे हैं जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति वर्ग का नहीं होते हुए भी उक्त वर्ग में आरक्षण प्राप्त करने के लिए संबंधित कॉलम में टिक (✓) किया है। ऐसे आवेदक गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने के दोषी है। ऐसी स्थिति में ऐसे आवेदकों के आवेदन खारिज कर पंजीकरण राशि जप्त किया जाना प्रस्तावित है एवं विधिक राय लेकर मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही किया जाना भी प्रस्तावित है।

2- ऐसे आवेदक जिन्होंने आवेदन सही श्रेणी में किया किन्तु फीडिंग की गलती एवं जांच में पकड़ में नहीं आने के कारण उक्त आरक्षण वर्ग में आवेदन-पत्र शामिल हुए एव लॉटरी में सफल हो गये। अब तक की जांच में ऐसे 20 आवेदक सामने आये हैं। ऐसे आवेदकों का आवेदन उनकी संबंधित आरक्षण श्रेणी में माना जाना एवं जिस आरक्षण श्रेणी में उन्हें आवंटन हुआ है उस श्रेणी में भूखण्ड आवंटन के लिए रिक्त/उपलब्ध होना प्रस्तावित किया है।

3- जांच के अनुसार कुल 9 प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जो स्पष्ट रूप से नियमित राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं और उन्होंने राज्य कर्मचारी वर्ग में आवेदन किया है तथा उन्हें लॉटरी में भी भूखण्ड आवंटन हो गया है। अतः ऐसे आवेदकों के आवेदन खारिज कर पंजीकरण राशि जप्त किया जाना प्रस्तावित है।

4- जांच के अनुसार 18 आवेदक ऐसे सामने आये हैं जिन्होंने संबंधित आय वर्ग श्रेणी के वजाय अन्य आय वर्ग श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। ऐसे आवेदकों ने भी जानबूझकर गलत आय वर्ग में आवेदन कर गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। अतः ऐसे आवेदनों को खारिज कर उनकी पंजीकरण राशि जप्त किया जाना प्रस्तावित है।

5- जांच में 3 ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जिनमें सफल आवेदक सैनिक विधवा की श्रेणी में आरक्षण की पात्रता नहीं रखती हैं क्योंकि संबंधित सैनिक की मृत्यु सेवानिवृत्त के पश्चात् होना स्पष्ट हुआ है। अतः ऐसे आवेदनों को खारिज किया जाना प्रस्तावित है।

6- पत्रकार वर्ग आरक्षण श्रेणी में ऐसे पत्रकार भी सम्मिलित है जो निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार नहीं है किन्तु उन्होंने पत्रकार श्रेणी में आवेदन किया और उन्हें आवंटन भी हो गया है। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2011 जारी कर पत्रकारों को उक्त योजना में भूखण्ड आवंटन के लिए पात्रता में छूट प्रदान की है। उक्त शिथिलता की शर्तों की जांच की जानी आवश्यक है। अतः उक्तानुसार भी पत्रकारों के आवेदन खारिज किया जाना नहीं प्रस्तावित किया है किन्तु लॉटरी दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को आवेदक अधिस्वीकृत पत्रकार को आवंटन किये जाने के पश्चात् शेष रहे अन्य सफल पत्रकार जो दिनांक 22 सितम्बर, 2011 के परिपत्र के अनुसार पात्र है, को भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

ek
Q

7- जांच में ऐसे प्रकरण भी सामने आये हैं जिनमें एक परिवार में एक से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है और लॉटरी में सफल भी हो गये हैं। ऐसे आवेदकों को नोटिस जारी किया जाकर 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ-पत्र लिया जाना प्रस्तावित है कि वे कौन-सा एक भूखण्ड का आवंटन यथावत् रखना चाहते हैं। तदुपरान्त शेष भूखण्ड का आवंटन खारिज कर दिया जावे।

8- जांच में ऐसे भी प्रकरण सामने आये हैं जिनमें फीडिंग की गलत के कारण आवेदित भूखण्ड आकार एवं आय वर्ग के अलावा अन्य आकार का भूखण्ड लॉटरी में आवंटन हो गया है ऐसे आवेदकों को उनके संबंधित आय वर्ग के आकार के भूखण्ड जिसके लिए वे पात्र है में ही भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है एवं जिस आकार वर्ग में उनकी लॉटरी निकली है उस आकार वर्ग में संबंधित श्रेणी में भूखण्ड रिक्त घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विवेक विहार योजना की अवाप्तसुदा भूमि के मुआवजेधारकों को दी जाने वाली विकसित भूमि की लॉटरी दिनांक 08.09.2011 के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु आयुक्त महोदया द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 23.09.2011 को आयोजित की गयी जिसमें निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये गये:-

इस संबंध में 334 प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिनका वर्गवार विश्लेषण निम्नानुसार है:-

1.	भूखण्ड नहीं मिले	88	
2.	अधिक भूमि होने बाबत	2	अधिक आवंटन
3.	एक ही भूखण्ड के दो नम्बर	7	दोहरा आवंटन
4.	एक से अधिक खसरो में आवंटन व कम आवंटन	10	कम आवंटन व 3 या 2 खसरो में आवंटन
5.	कम वर्ग गज का भूमि आवंटन	130	कम नाप का दिया
6.	अन्य जो योजना से संबंधित है।	40	मुआवजाधारी (अन्य)
7.	अन्य विविध	57	कानूनी विवाद
		योग 334	

उक्तानुसार प्रकरणों में विचार के उपरान्त समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं:-

1- जिन मामलों में मुआवजेधारको को एक ही भूखण्ड संख्या एक से अधिक वार आवंटित हो गई है उन मामलों में यथा सम्भव उसी सेक्टर में समान आकार का भूखण्ड लॉटरी द्वारा पुनः आवंटित किया जावे।

2- जिन मामलों में अवार्ड धारकों को मुआवजे में देय सम्पूर्ण क्षेत्रफल आवंटन से शेष रह गया अथवा 50 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल आवंटन से शेष बचा हुआ है, ऐसे मामलों में लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किए जावे।

3- कई मामलों में एक ही मुआवजे धारक को स्वयं के सेक्टर में बहुत कम भूमि मिली है, अथवा दी जाने वाली भूमि अनेक सेक्टरों में विभाजित कर दी गई है, ऐसे

ok
Dra

प्रकरणों पर विचार कर समतुल्य आधार पर परिवेदनाओ का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में यह भी सुझाव है कि विवेक विहार योजना में राजस्थान आवासन मण्डल को 100 बीघा भूमि दी जानी प्रस्तावित है, उसी भूमि में भूखण्ड आवंटन किये जाने प्रस्तावित है। जिन मुआवजाधारियों को मुआवजा में भूखण्ड आवंटन नहीं हुआ है उनका मुआवजा तत्काल दिया जावे।

4- सेक्टर - ए में रूपान्तरित भूखण्ड के मामलों में पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.05.2011 में निर्णय लिया गया था कि ऐसे मुआवजेधारी जिनके भूखण्ड विधिवत रूप से कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है, को मुआवजे के बदले यथासम्भव अवाप्तसुदा भूखण्ड के लगभग 100 मीटर परिधि में उपलब्ध कराये जावे, किन्तु लॉटरी दिनांक 08.09.2011 में अन्य मुआवजे धारको के साथ ही लॉटरी निकाली गई। अतः ऐसे प्रकरणों में दिनांक 08.09.2011 में आवंटित भूखण्ड संख्या के संबंध में रूपान्तरित भूखण्ड के अवार्ड धारकों को नोटिस जारी कर आपत्ति/विकल्प/सहमति प्राप्त की जावे तथा उसके उपरान्त प्राप्त स्थिति अनुसार सेक्टर - ए में रूपान्तरित भूखण्ड से संबंधित खसरो को यथासम्भव 100 मीटर के अन्दर लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किए जावे। इस संबंध में संबंधित से विकल्प मांगे जाने की प्रस्तावना है।

अतः उपरोक्तानुसार विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में विवेक विहार आवासीय योजना के संबंध में आवेदकों को भूखण्ड आवंटन के लिए निकाली गयी लॉटरी दिनांक 9 सितम्बर, 2011 व मुआवजाधारियों को 20 प्रतिशत आवासीय विकसित भूखण्ड आवंटन के लिए की गयी लॉटरी प्रक्रिया के संबंध में उक्त अनुसार प्रस्तुत की गयी स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। लॉटरी में रही गलतियों के सुधार के लिए कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णयों एवं अब तक की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्णय लिया कि प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा आवंटन-पत्र जारी किये जाने एवं अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है बल्कि प्राधिकरण स्तर पर ही आदेश जारी किये गये हैं। अतः निर्णय लिया गया कि सफल आवेदकों को भूखण्डों के आवंटन-पत्र जारी किये जावे और अग्रिम कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार मुआवजाधारियों को आवंटन के लिए निकाली गयी लॉटरी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा करायी गयी जांच की रिपोर्ट प्राप्त कर तदनुसार गलतियों के दुरुस्तीकरण के लिए, नक्शे में संशोधन, लॉटरी एवं अन्य कार्यवाही उपायुक्त-दक्षिण, सचिव व आयुक्त के स्तर पर कर ली जावे। इसके लिए पुनः प्राधिकरण की बैठक में प्रकरण रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार विवेक विहार योजना के सेक्टर-ए में रूपान्तरित भूखण्डों के मुआवजे के संबंध में प्राप्त 21 विकल्पों/आपत्ति पत्रों के अनुसार दुरुस्तीकरण के लिए उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय की पालना में प्राप्त विकल्पों के अनुसार आवंटन किये जाने के लिए नक्शे में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त-दक्षिण, सचिव व आयुक्त प्राधिकरण विवेक विहार योजना की लॉटरी मुआवजाधारियों को आवंटन व अन्य समस्त बिन्दुओं के संबंध में दुरुस्तीकरण एवं आवंटन के लिए अधिकृत रहेंगे।

प्रस्ताव संख्या : 8 जोजरी नदी पर River water front योजना बनाये जाने के बारे में विचार

उक्त योजना के संबंध में संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नगर निगम के अधीक्षण अभियन्ता श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता श्री जी.पी. एस. चौहान दिनांक 11 अक्टूबर, 2011 को अहमदाबाद जाकर साबरमती नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट/कार्यों का अध्ययन किया तत्पश्चात् अहमदाबाद में साबरमती नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट के विशेषज्ञों द्वारा जोधपुर में जोजरी साइट स्थल का अध्ययन किया गया।

ok
Q

इस संबंध में श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम द्वारा एक वस्तुस्थिति की टिप्पणी प्रस्तुत की गयी जो परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

इस संबंध में दिनांक 10/10/2011 तथा 11/10/2011 को गांव धवा डोली आदि में पानी बहाव क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करने बाबत सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। जिला कलक्टर, जोधपुर ने मत व्यक्त किया कि जोजरी नदी परियोजना में भी पानी की आवश्यकता रहेगी और नये प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट के प्रोजेक्ट में भी उपचारित जल बेचे जाने का प्रावधान रखा गया है। अतः दोनों परियोजनाओं को एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि जोजरी वाटर फंट प्रोजेक्ट फिजीबल है। अतः नगर निगम द्वारा यह परियोजना कियान्वित की जावेगी और अन्य सभी विभाग इसके कियान्वयन के लिए नगर निगम को वांछित सहयोग प्रदान करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों परियोजनाओं को आपस में जोड़कर ही कियान्वित किया जावे। उक्त परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने का निर्णय भी लिया गया। उक्त समिति में जिला कलक्टर, सचिव प्राधिकरण, निदेशक आयोजना, निदेशक अभियांत्रिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग, अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग एवं परियोजना निदेशक, रिमोट सेंसिंग सदस्य होंगे। उपर्युक्त प्रोजेक्ट की डी.पी.आर. बनवाने, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त संबंधी कार्यवाही, उक्त समिति में विचार विमर्श के अनुसार प्रतिपादित की जाएगी।

प्रस्ताव संख्या :: प्राधिकरण की विज्ञापन नीति पर विचार एवं अब तक
9 हुए व्यय के बारे में समीक्षा

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 एवं 18 अगस्त, 2011 द्वारा विज्ञापन नीति विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदित की गयी है। उक्त नीति के संबंध में कतिपय समाचार-पत्र, सांध्यकालीन समाचार-पत्र व पत्रिकाओं के प्रतिवेदन सीधे ही एवं राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उक्त विज्ञापन नीति में निम्न प्रकार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:-

1- राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों की सूची में उन अखबारों को सम्मिलित किया जावे जो राज्य सरकार के जन सम्पर्क निदेशालय से यह मान्यता रखते हैं और जोधपुर में प्रकाशित होते हैं।

2- पूर्व में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 जून, 2011 में विज्ञापन के लिए दी गयी दरों को भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अनुमोदित विज्ञापन नीति प्राधिकरण के समक्ष परिशिष्ट-3 विचार विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विचार विमर्श कर जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों के रूप में अधिकृत समाचार-पत्रों को प्राधिकरण द्वारा भी राज्य स्तरीय की श्रेणी में रखे जाने का एवं अधिकतम विज्ञापन दर 1050/-- रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की सीमा में रखे जाने का निर्णय लिया गया। विज्ञापन पर अब तक हुए व्यय पर विचार विमर्श कर निर्देश दिये गये कि विज्ञापन पर अनावश्यक विक्रय नहीं किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: प्राधिकरण के विरुद्ध उपभोक्ता मंच में लगे प्रकरणों को न्यायालय परिसर के बाहर निर्धारित करने पर विचार।

उपभोक्ता मंच में लगे प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-4 के रूप में संलग्न है। जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच एवं केन्द्रीय उपभोक्ता मंच में विचाराधीन प्रकरण को निपटाये जाने एवं प्राधिकरण के हित को ध्यान में रखते हुए मुकदमेबाजी कम किये जाने की दृष्टि से न्यायालय के बाहर समझौता प्रक्रिया निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सचिव प्राधिकरण, निदेशक-विधि, निदेशक-वित्त एवं संबंधित उपायुक्त की समिति उक्त न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों की विषय वस्तु का अध्ययन करने एवं उनमें से प्राधिकरण की समझौता समिति में प्रस्तुत किये जाने के लिए चिन्हित किये जाने हेतु समिति बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त समिति ऐसे प्रकरणों का चिन्हिकरण कर संबंधित पक्षकारों का प्रस्ताव प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित आयुक्त प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी और तदपरान्त प्राधिकरण के माध्यम से निर्णय लिये जाने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णय लिये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचार विमर्श कर प्रस्ताव अनुसार सचिव प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्री-लिटिगेशन कमेटी गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति के सदस्य सचिव निदेशक-विधि होंगे और निदेशक-वित्त एवं संबंधित उपायुक्तगण के सदस्य होंगे। साथ ही निदेशक-विधि को यह निर्देश भी दिये गये कि वे विधिक स्थिति का परीक्षण कर यह बतावें कि क्या भूखण्डों के आवंटी उपभोक्ता की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं। यदि भूखण्ड आवंटी उपभोक्ता की परिभाषा में आते हैं, तो उपभोक्ता मंच चल रहे, प्रकरणों का परीक्षण कर टिप्पणी सहित आयुक्त/अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनके न्यायालय के बाहर समझौते के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

प्रस्ताव संख्या 11 :: श्री अल्लाह नूर को नई सड़क की अवाप्ति में आयी दुकानों के बदले में भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 23 जून, 2011 में जरिये प्रस्ताव संख्या 9 पश्री अल्लाहनूर को नई सड़क की अवाप्ति में आयी दुकानों के बदले में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में डुप्लीकेट पत्रावली संधारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री अल्लानूर को ओ.बी.सी.टी. स्थित घण्टाघर नई सड़क से हटायी गयी दुकान के एवज में तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर के पत्रांक एफ. 44/ आवंटन/ 273 दिनांक 21 फरवरी, 1976 द्वारा दुकान संख्या 195 स्टेडियम शोपिंग सेंटर में आवंटन-पत्र जारी किया गया। जिसके तहत कीमत राशि रूपये 8200/- जमा कराना अनिवार्य था।

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 678/75 श्री जेठमल बनाम स्टेट एण्ड अदर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार प्रार्थी द्वारा दुकान संख्या 124 जिसका क्षेत्रफल 230 वर्ग फीट 5/- रूपये प्रति वर्ग फीट से राशि जमा कराने का अनुरोध किया जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7 जुलाई, 1975 को रिट याचिका को खारिज किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का परीक्षण निदेशक-विधि द्वारा करवाया जाना है।

प्रार्थी द्वारा तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा आवंटित दुकान संख्या 195 स्टेडियम शोपिंग सेंटर योजना की लीज डीड/सैल डीड तैयार करने का अनुरोध

OK
Dm

किया है किन्तु मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटित दुकान की लीज डीड/ सैल डीड जारी नहीं हो सकी है।

अतः डुप्लीकेट पत्रावली खोलकर प्रार्थी को लीज डीड/सैल डीड जारी किये जाने के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में डुप्लीकेट पत्रावली संधारित कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में उल्लेखित ओ.बी.सी.टी. योजना एवं स्टेडियम शोपिंग सेंटर योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

इसी प्रकार का समानान्तरण प्रकरण श्री फारूख गोरी को नई सड़क की अवाप्ति में आयी भूमि के बदले भूखण्ड संख्या 235 सेक्टर ए सरस्वती नगर में तत्समय की आरक्षित दर के संबंध में दिनांक 23 जून, 2011 को प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि चूंकि सरस्वती नगर योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अतः न्यास बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2000 के प्रस्ताव अनुसार अब 11 वर्ष बाद सरस्वती नगर योजना के सेक्टर सी में भूखण्ड संख्या ए-235 का आवंटन किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को मुआवजा राशि एवं उस पर प्रथम वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ब्याज एवं आगामी वर्षों के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान किया जावे (नियमानुसार)।

अतः अब प्रकरण अग्रिम विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री फारूख गोरी के प्रकरण में लिये गये निर्णय अनुसार इस प्रकरण में भी प्रार्थी को मुआवजा राशि एवं देय ब्याज का भुगतान किया जावे।

प्रस्ताव संख्या :: 12
भदवासीया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले दुकानदारों को दुकान के बदले दुकान आवंटन के करने के संबंध में विचार विमर्श

प्रस्तावित भदवासीया रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण स्टेट साइकिल सवार ट्रस्ट, मंडोर रोड जोधपुर की भूमि पर वर्तमान में काबिज व्यापारीगणों की दस दुकानें, श्रीगणेश मंदिर एवं प्याउ आदि की भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है। इस वाबत् सम्पर्क करने पर वर्तमान में काबिज समस्त व्यापारियों ने समान क्षेत्रफल की नई दुकानें बनाकर पुनर्स्थापित करने की स्थिति में वर्तमान काबिज क्षेत्र को प्रस्तावित ओवर ब्रिज के लिए देने पर अपनी सहमति को प्रस्तुत की।

वर्तमान काबिज दुकानदारों को विभाग द्वारा निम्नानुसार स्थानों की प्रस्तावना दी गई :

अ. मंडोर रोड पर नरपत पेट्रोल पम्प के पास अथवा,

ब. मंडोर रोड पर ही ग्राम मंडोर के खसरा नं.1608 की रिक्त भूमि जो छोटी पहाड़ी के रूप में स्थित,

परन्तु दुकानदारों के उक्त दोनों ही स्थानों के लिए सहमत नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी में पानी की टंकी के पास स्थान प्रस्तावित किया गया। उक्त स्थान के लिए समस्त व्यापारीगणों ने सहमती व्यक्त की। (दुकानदारों के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2011 बिन्दु सं. 8 से 13)।

Oh
D

मण्डी में उक्त स्थान पर लगभग 30 दुकानों (साइज 3मी. x 5.40मी.) का निर्माण किया जाना सम्भव है ।

स्टेट साइकिल सवार ट्रस्ट, मंडोर रोड जोधपुर की भूमि पर वर्तमान में काबिज दस दुकानदारों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर लिखित में आश्वासन के लिए निवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	दुकानदारों द्वारा वांछित आश्वासन	विशेष विवरण
1	कृषि उपज मण्डी, फल सब्जी मण्डी में अनाज मण्डी रोड से शुरु करते हुए पानी की टंकी के पास व धर्म काटे तक व उसके पास रिक्त स्थान है ।	कृषि उपज मण्डी, फल सब्जी मण्डी में उक्त भूमि प्रस्तावित दुकानों के निर्माण के लिए अधिहित की जा कर कार्य शुरु किया जा चुका है ।
2	अब ट्रस्ट के सभी दुकानदार उपरोक्त स्थान पर दुकानें बनाकर देने हेतु सहमति व्यक्त करते हैं ।	विभाग द्वारा लगभग 30 दुकाने बनाया जाना प्रस्तावित है ।
3	अतः श्रीमान् आयुक्त महोदया, से नम्र निवेदन है कि आप उपरोक्त स्थान पर लगातार 10 दुकानें व श्रीगणेश मंदिर एवं प्याउ निर्मित कराकर हमें पुनः दिलवाने का कष्ट करावें ।	उक्त दुकानों में से प्रथम 10 दुकाने लगातार, मंदिर एवं प्याउ ट्रस्ट के वर्तमान काबिज दुकानदारों को दिया जाना प्रस्तावित ।
4	आयुक्त महोदयाजी आपसे नम्र निवेदन है कि वर्तमान में हमारी दुकानों का जो माप है, उसी माप की दुकानें व मंदिर एवं प्याउ बनाकर ही हमें प्रदान करावें ।	स्वीकृत किया जा सकता है । परन्तु यदि किसी व्यापारी की वर्तमान काबिज दुकान का क्षेत्रफल प्रस्तावित पुर्नवासित दुकान के क्षेत्रफल से कम है, तो अधिक क्षेत्रफल का नियमानुसार भुगतान करना होगा ।
5	चूंकि हमारी वर्तमान दुकानों के नीचे बेसमेंट है तथा वर्तमान जानकारी के नई दुकानों के नीचे बेसमेंट बनाना सम्भव नहीं है । अतः आप हमें हमारी दुकानों पर प्रथम मंजिल निर्माण की भी अनुमति प्रदान करावें ।	विभाग द्वारा भूतल पर दुकान बनाकर देते हुए, सम्बन्धित दुकानदार को प्रथम तल बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ ।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें समिति द्वारा कृषि उपज मण्डी से उपलब्ध होने वाली भूमि में बनायी जाने वाली प्रथम 10 दुकानें उक्त साइकिल सवार संघ को विनिमय में दिये जोन का निर्णय आगामी प्राधिकरण बैठक के अनुमोदन के अधीन रखते हुए निर्णय लिया गया ।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव संख्या :: जोधपुर शहर में बनने वाली प्रस्तावित रिंग रोड के

OK
Qm

जोधपुर शहर एक महानगर घोषित होने के फलस्वरूप तथा जोधपुर शहर के चौरफा यातायात में निरन्तर बढ़ते हुये दबाव को कम करने की दृष्टि से जोधपुर-फलोदी सड़क से जोधपुर-जयपुर सड़क के मध्य चार लेन रिंग रोड बी.ओ.टी. के आधार पर बनाए जाने की योजना बनाई गई है। उक्त रोड के सम्बन्धित सभी कार्य आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा किये जा रहे हैं। इसी क्रम में आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा प्राथमिक योजना रपट (Primary Project Report) प्रस्तुत कर दी गई है। प्रस्तुत रपट क अनुसार इस रिंग रोड की कुल लम्बाई 108 किमी होगी। प्रस्तावित रिंग रोड केरु, जाखडो की ढाणी, नारवा, मनाड़ी, माणकलाव, करवड, सालावास, लोरडी- पण्डितजी, जाजीवाल भटियान, जाजीवाल गहलोतान, बनाड, नान्दडा कंला व उचियाडा होकर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आर.एस.आर.डी.सी. ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न स्थानों पर सात आर.ओ.बी/आर.यू.बी/पलाई ओवर व विभिन्न स्थानों पर बस स्टोप निर्माण करने का भी प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत बनने वाली रिंग रोड निर्माण के लिये समयाविधी दो वर्ष तथा आर.ओ.बी/ आर.यू.बी./पलाई ओवर निर्माण के लिये पांच वर्ष अवधि रखी गई है। इस योजना पर कुल 405.64 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

बैठक में वाद विस्तृत विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा तैयार की गयी प्री-फिजिलिटी रिपोर्ट की समीक्षा की जावे। इसके लिए सचिव प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति में निदेशक-अभियांत्रिक प्राधिकरण, अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, खनिज अभियन्ता एवं रीजनल मैनेजर, रीको सदस्य होंगे।

प्रस्ताव संख्या :: प्रस्तावित बजट में व्यय की स्थिति
14

प्राप्तियां

वर्ष 2011-12 आय मद का प्रावधान रु. 64253.00 लाख रखा गया था जिसके विपरीत माह सितम्बर, 2011 तक 15183.57 लाख की प्राप्तियां हुई जिसमें मुख्यतः भूमि/भूखण्डों के विक्रय प्राप्ति मद में से 45157.50 लाख के विरुद्ध 2577.32 लाख ही प्राप्त हुए। विवेक विहार योजना की लॉटरी के पत्र जारी होने के उपरान्त ही इस मद में प्राप्तियां होने की सम्भावना है। इसी प्रकार 90वीं के लक्ष्य 4,000.00 लाख के विपरीत 337.65 लाख ही प्राप्तियां हुई, आगामी शिविरों में राशि प्राप्ति की सम्भावना है।

व्यय मद

वर्ष 2011-12 व्यय मद का प्रावधान रु. 64253.00 लाख के विपरीत 8311.93 लाख का व्यय हुआ है। उक्त व्यय वास्तविक प्राप्तियों के अनुरूप है।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12

वास्तविक प्राप्तियां/व्यय माह 01 अप्रैल-2011 से सितम्बर-2011 तक

(राशि लाख रु.)

शीर्षक (प्राप्तियाँ)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12	वार्षिक प्राप्तियाँ 01 अप्रैल-2011 से सितम्बर-2011 तक	प्रतिशत	शीर्षक (व्यय)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12	वास्तविक व्यय 01 अप्रैल-2011 से सितम्बर-2011 तक	प्रतिशत
1	2	3		4	5	6	
1	पूजीगत प्राप्तियाँ			सामान्य प्रशासन			
1	भूमि / भूखण्डों के विक्रय से (प्राप्तियाँ)	45157.50	2577.32	5.71	अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों	988.50	47.19
2	निर्मित भवनों / दुकानों से प्राप्तियाँ	63.00	57.53	91.32	कार्यालय व्यय	665.00	33.25
3	ऋण	6000.00	2900.00	48.33	योग	1653.50	41.59
4	अनुदान	0.00	0.00		प्राधिकरण योजना क्षेत्र में विकास कार्य	14043.00	11.63
					गैर योजना क्षेत्र में विकास एवं शहरी सौन्दर्यकरण कार्य इत्यादि	28970.92	11.48
					कच्ची बरती व डिपोजिट कार्य व परामर्शी सेवाये	7175.77	18.61
					कुल विविध योजनाओं पर व्यय (विकास कार्य)	50189.69	12.54
5	सहकारी समिति, निजी आवासीय योजना एवं 90वीं से प्राप्तियाँ	4000.00	337.65	8.44	मशीनरी टूल्स-प्लांट्स आदि का कार्य	100.00	59.03
	योग	55220.50	5872.50	10.63	सस्पेन्स स्टॉक	50.00	0.00
2	राजस्व प्राप्तियाँ			अन्य विभाग सरथाओं को अग्रिम			
1	नगरीय कर	1300.00	556.03	42.77	ऋण एवं ब्याज का पुर्नभुगतान	1249.00	8.98

8/11
An

2	हरतान्तरण शुल्क, शारितियों आदि	200.00	591.63	295.82	धरोहर एवं अमानत राशि की वापसी	3000.00	1107.55	36.92
3	भयनो दुकानों फिओरस्क आदि का किराया	7.00	1.64	23.43	नगरीय कर राजकोष में जमा	210.00	0.00	0.00
4	व्याज	100.00	127.28	127.28	नगर निगम को स्थानान्तरण योग्य राशि	1324.81	0.00	0.00
5	विक्रिध प्राप्तियाँ	3793.50	701.82	18.50	अन्य व्यय	50.00	41.56	83.12
	योग	5400.50	1978.40	36.63	भूमि अवाप्ति आपसी समझौता व विवेक विहार योजना का मुआवजा	2500.00	0.00	0.00
	निकष	3625.00	7326.53	202.11	नवीन मशीनरी क्रय	260.00	10.74	4.13
	अयिम	7.00	6.14	87.71	90वीं के तहत राज्य सरकार का भुगतान	125.00	0.00	0.00
					राज्य सरकार को भूमि विक्रय का 20 प्रतिशत भुगतान हेतु प्रावधान	2500.00	0.00	0.00
	कुल योग	64253.00	15183.57	23.63	कुल योग	64253.00	8311.93	12.94

बैठक में प्राधिकरण के चालू वर्ष में अब तक की आय व्यय की समीक्षा की जाकर निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की प्राप्ति की स्थिति अपेक्षा अनुसार नहीं है। आय में बढ़ोतरी के लिए और गम्भीर प्रयास किये जावे। साथ ही बजट में अनुमोदित राशि के अनुसार ही व्यय किया जाय। विशेषकर विज्ञापन मद में नियंत्रित व्यय ही किया जाय।

प्रस्ताव संख्या :: अभियन्ताओं के पद सृजन बाबत।

15

प्राधिकरण में निम्नानुसार अभियन्ताओं के पद सृजित है एवं इनके विरुद्ध निम्नानुसार कार्यरत है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	विवरण
1-	निदेशक-अभियांत्रिक	1	1	
2-	अधीक्षण अभियन्ता	1	1	
3-	अधिकाधी अभियन्ता-सिविल	8	11	3 अतिरिक्त
4-	अधिकाधी अभियन्ता-विद्युत	1	1	
5-	सहायक अभियन्ता-सिविल	16	13	3 रिक्त

OK
Dm

6-	सहायक अभियन्ता-विद्युत	2	2	
7-	कनिष्ठ अभियन्ता-सिविल	23	24	1 अतिरिक्त
8-	कनिष्ठ अभियन्ता-विद्युत	2	2	

नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 1 (15) नविवि/द्वितीय/ 94 पार्ट दिनांक 21 सितम्बर, 2011 के द्वारा निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं को अधिशाषी अभियन्ता के पद के विरुद्ध प्राधिकरण में ही पदस्थापित किया गया।

उपरोक्तनुसार अधिशाषी अभियन्ता के कुल 8 स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्राधिकरण में कुल 11 अधिशाषी अभियन्ता पदस्थापित हो गये हैं, जिसके अन्तर्गत 3 अधिशाषी अभियन्ताओं का कार्यमुक्त करने का निर्णय किया जाना है। उप शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (15) नविवि/ द्वितीय/ 94/ पार्ट दिनांक 21 सितम्बर, 2011 के द्वारा श्री एन.के. माथुर एवं मुकेशचन्द्र भाटी, अधिशाषी अभियन्ता को उनके पैतृक विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण/पदस्थापित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कुल पद 23 स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 24 कनिष्ठ अभियन्ता पदस्थापित हो गये हैं। एक कनिष्ठ अभियन्ता को कार्यमुक्त करने के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए उपरोक्त प्रस्ताव स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: विभिन्न संस्थाओं/समाजों को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में।
16

प्राधिकरण में विभिन्न संस्थाओं/समाजों को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में जोन पूर्व में 30, जोन पश्चिम में 19, जोन उत्तर में 21 एवं जोन दक्षिण में 20 प्रकरण विचाराधीन है। जिनकी सूची बैठक में प्रस्तुत की गयी।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से परिशिष्ट-2 में वर्णित राजकीय संस्थाओं को भूमि आवंटन किये जाने के लिए आयुक्त प्राधिकरण को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त प्राधिकरण राजकीय संस्थाओं को भूमि का आवंटन कर अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

इसके अलावा अन्य सार्वजनिक एवं चेरिटेबल संस्थाओं को आवंटन किये जाने के लिए सचिव प्राधिकरण की अध्यक्षता में उप समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त उप समिति में निदेशक आयोजना एवं संबंधित उपायुक्त व तहसीलदार सदस्य होंगे। यह समिति विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के प्राप्त प्रस्तावों का नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के क्रम में परीक्षण करेगी, आवश्यकतानुसार मौका निरीक्षण करेगी और आगामी एक माह में अपनी रिपोर्ट आयुक्त/अध्यक्ष महोदय को देगी। तदनुसार आगामी प्राधिकरण बैठक में आवंटन संबंधी निर्णय लिया जावेगा।

प्रस्ताव संख्या :: रिक्त पदों को भरने हेतु नीति पर विचार विमर्श
17

OK
Qm

प्राधिकरण में विभिन्न चल रहे रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधि.	1	—	1
2.	पिठासीन अधिकारी	1	0	1
3.	निदेशक विधि	1	0	1
4.	उपनिदेशक (उपविधि परामर्शी)	1	0	1
5.	सहायक विधि परामर्शी	1	0	1
6.	विधि सहायक	2	1	1
7.	उप नगर नियोजक	1	—	1
8.	सहायक नगर नियोजक	2	—	2
9.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)	1	—	1
10.	सहायक अभियन्ता	16	14	2
11.	नगर नियोजक सहायक	1	0	1
12.	प्रारूपकार	3	2	1
13.	फेरोमैन	1	0	1
14.	सहायक लेखाधिकारी	2	1	1
15.	लेखाकार	2	—	2
16.	कनिष्ठ लेखाकार	9	4	5
17.	सहायक अतिक्रमण रोक अधिकारी	2	0	2
18.	अतिक्रमण रोक निरीक्षक	7	4	3
19.	वरिष्ठ निजी सहायक	2	1	1
20.	निजी सहायक	6	0	6
21.	स्टेनो	6	0	6
22.	कार्यालय अधीक्षक	1	0	1
23.	कार्यालय सहायक	3	0	3
24.	वरिष्ठ लिपिक	15	5	10
25.	कनिष्ठ लिपिक	50	35	15
26.	जमादार	1	0	1
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	7	8
28.	प्रोसेस सरवर	2	1	1
29.	हैलपर वाहन	2	0	2
30.	क्लीनर	1	0	1
31.	रोड लाईट निरीक्षक	3	0	3
32.	मिस्त्री	5	3	2
33.	मुसरिम	1	0	1
34.	रिडर	1	0	1
35.	अमीन	6	3	3
36.	पटवारी	8	6	2

अतः उपरोक्तानुसार रिक्त पदों को भरने के संबंध में नीति निर्धारित करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेवारत कार्मिकों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उक्त

रिक्तियों को भरने के लिए आगामी एक सप्ताह में विज्ञप्ति जारी की जावे एवं प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या :: पाल पाली रोड़ पर निर्धारित सड़क सीमा में से हटाये गये अतिक्रमणों के मुआवजे के संबंध में
18

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2011 में निर्णय लिया गया कि पाल व पाली रोड़ का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का होने से हटाये गये निर्माणों/अतिक्रमणों का मुआवजा देने या नहीं देने का विनिश्चयन सार्वजनिक निर्माण विभाग को करना है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन मार्गों को विकसित किया गया है एवं माननीय न्यायालय के निर्देश की अनुपालना में सड़क सीमा में आये हुए अतिक्रमणों को हटाया गया। समस्त प्रकरण का विस्तृत विवरण अंकित करते हुए प्रकरण मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित किया जावे।

प्राधिकरण के निर्णय की अनुपालना में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भूमि अवाति/2011/44 दिनांक 28 अप्रैल, 2011 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर को प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जरिये पत्र क्रमांक अअ/राउमा/जो/2011-12/1671 दिनांक 10 जुलाई, 2011 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया कि चूंकि वर्तमान में उक्त दोनों सड़कों की देखरेख जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही की जा रही है। अतः मुआवजा राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही प्रदान करना उचित रहेगा।

अतः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 21 मार्च, 2011 में इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। अतः तदनुसार राज्य सरकार को मुआवजा भुगतान के सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किये जाने के लिए निवेदन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या :: अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से:-
19

प्रस्ताव संख्या :: वातानुकूल मैरिज हॉल निर्माण के संबंध में।
19 (1)

जोधपुर महानगर में नागरिकों के लिए पी.पी.पी. मॉडल के तहत वातानुकूल (एफ.सी.) मैरिज हॉल का निर्माण किया जाना है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में उपरोक्त मैरिज हॉल के लिए भूमि प्रस्तावित की जा चुकी है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1- ग्राम चौखा में स्थित प्राधिकरण की वाम्बे योजना (आर.के. पुरम् योजना) के अन्तर्गत सुविधा के लिए आरक्षित भूखण्ड में से लगभग 5000 वर्ग मीटर भूमि पर मैरिज हॉल बनाया जा सकता है। उपरोक्त स्थल योजना के क्षेत्र में जोधपुर चौखा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है तथा आस-पास में रामराज नगर चौपासनी गांव व अन्य आवादी वर्तमान में स्थित है। इस क्षेत्र के आस-पास अन्य होटल व सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण के पश्चिम जोन में स्थित है तथा विधानसभा क्षेत्र सूरसागर का भाग है।

2- ग्राम पूजला के खसरा संख्या 175 रकबा 5 बीघा भूमि के कुछ भाग पर अतिक्रमण के रूप में आबादी स्थित है तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि बुनियादी शिक्षा संस्थान के नाम दर्ज है। दो पक्षों में इस भूमि के उपयोग को लेकर विरोधाभास है। दोनों पक्षों से वातचीत कर उपरोक्त स्थल की उपलब्ध भूमि पर ए.सी. मैरिज हॉल बनाया जा सकता है। यह स्थल भदवासिया आर.ओ.बी. के मुख्य मार्ग से लगता हुआ है तथा आस-पास में घनी आबादी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के उत्तर जोन में स्थित है तथा इस क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा है।

3- ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 73 गैर मुमकिन पहाडी की भूमि पर उपलब्धता के अनुसार ए.सी. मैरिज हॉल बनाया जा सकता है। उक्त स्थल प्राधिकरण की सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना व दीपदयाल उपाध्याय आवासीय योजना से लगता हुआ है। उक्त स्थल पर मैरिज हॉल बनाने से चैनपुरा में स्थित आवासीय कॉलोनियां व प्रस्तावित योजना के नागरिक लाभान्वित होंगे। यह स्थल जोधपुर विकास प्राधिकरण के उत्तर जोन व विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ का भाग है।

4- ग्राम खोखरिया खसरा संख्या 119 रकबा 32 बीघा (गौचर) प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जा चुका है। उक्त स्थल जयपुर-जोधपुर रोड व रेलवे लाईन से सटा हुआ है तथा आस-पास में विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा व नांदडी क्षेत्र की आबादी की कॉलोनियां लाभान्वित होंगी। उपरोक्त स्थल जोधपुर विकास प्राधिकरण के उत्तर जोन व विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ में स्थित है। उक्त स्थल पर ए.सी. मैरिज हॉल बनाने पर नांदडी क्षेत्र की आबादी विशेष रूप से लाभान्वित होगी जो विधानसभा क्षेत्र लूणी का भाग है।

5- ग्राम जोधपुर खसरा संख्या 677 रकबा 167 बीघा (गैर मुमकिन आवादी) प्राधिकरण के नाम है। उक्त खसरे में न्यायिक अकादमी बी.आर.टी.एस. व अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी प्रस्तावित हैं। यह स्थल झालामण्ड चौराहे के बिलकुल नजदीक स्थित है तथा वायुसेना के 100 मीटर जोन से कुछ क्षेत्र प्रभावित है। उपरोक्त क्षेत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व जोन व विधानसभा क्षेत्र जोधपुर शहर का भाग है।

6- ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 191 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा (औरणा) व खसरा संख्या 326 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा (गौचर) जो पाली रोड के बायीं व दायीं तरफ कुछ दूरी पर स्थित है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी के किनारे स्थित है। उपरोक्त दोनों स्थल प्राधिकरण के दक्षिण जोन व विधानसभा क्षेत्र लूणी का भाग है। उपरोक्त स्थलों पर ए.सी. हॉल प्रस्तावित करने से पूर्व वर्तमान मौका स्थिति की जांच लिया जाना आवश्यक है।

वैठक में उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त स्थानों पर जन सहभागी पद्धति में वातानुकूल मैरिज हॉल व गार्डन विकसित किये जाने के लिए प्रारूप निदेशक-आयोजना व निदेशक-अभियांत्रिक आगामी 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त डेडिकेटेड कंसलटेन्ट से आवश्यक सर्वे भी करा लिया जावे व प्रस्ताव तैयार करवा लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या :: अन्तर्राष्ट्रीय कनवेन्सिंग सेंटर
19 (2)

विवेक विहार आवासीय योजना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कनवेन्सिंग सेंटर बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। उक्त कनवेन्सिंग सेंटर के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से एम.आई.सी.ई. योजनान्तर्गत 5.00 करोड़ रुपये का अंशदान

OK
Dm

प्राप्त किया जाना है। इसके लिए डी.पी.आर. तैयार की जाकर भारत सरकार को भिजवायी जानी है। बैठक में अवगत कराया गया कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक तकमीना बनाया जाकर भारत सरकार को भिजवाया गया था। उक्त तकमीने के अनुसार सेंटर की अनुमानित लागत 18.00 से 20.00 करोड़ रुपये बतायी गयी थी। विस्तृत डी.पी.आर. बनायी जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पैगलबद्ध कंसलटेन्ट में से 7 कंसलटेन्ट को प्रस्ताव ई-मेल द्वारा आमंत्रित किये गये थे। उक्त डी.पी.आर. बनाये जाने के लिए मुम्बई स्थित फर्म प्रेमनाथ एण्ड एसोसिएट्स एवं जोधपुर स्थित फर्म राज एण्ड एसोसिएट के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों फर्मों द्वारा अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रजेन्टेशन भी दिया गया है। दोनों फर्मों के द्वारा सीलबन्द लिफाफे में डी.पी.आर. बनाये जाने की दर भी प्रस्तुत की है।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि तकनीकी दृष्टि से दोनों फर्मों के प्रस्ताव उचित है। उक्त कनवेन्सिंग सेंटर के निर्माण व भविष्य में संचालन के लिए इसे स्ववित्त पोषित बनाया जावे। अतः न्यूनतम दरदाता प्रेमनाथ एण्ड एसोसिएट्स को पत्र लिखा जावे कि परियोजना की अनुमानित लागत 18.00 से 20.00 करोड़ रुपये हैं और उक्त अनुमानित लागत पर ही डी.पी.आर. निर्माण के लिए 1.35 प्रतिशत राशि देय होगी। इसके लिए संबंधित संस्था को प्राधिकरण में सिक्क्यूरिटी डिपोजिट के रूप में 1.00 लाख रुपये की राशि जमा करानी होगी। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 दिवस में यदि उक्त न्यूनतम दरदाता फर्म उक्त शर्तों पर अपनी सहमति देती है तो उसे कार्यदेश दिया जावे अन्यथा द्वितीय न्यूनतम दरदाता को उनकी प्रस्तावित दर पर उक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए लिखा जावे।

प्रस्ताव संख्या :: प्राधिकरण के प्रगतिरत् विकास कार्यों के संबंध में।
19 (3)

बैठक में प्राधिकरण के प्रगतिरत् विकास कार्यों व परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। निदेशक-अभियांत्रिक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एक आर.ओ.वी. एवं शहर की मुख्य सड़कों के चौड़ाईकरण व सौन्दर्यकरण के कार्य प्रगति पर है। वर्षा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवा दी गयी है। अध्यक्ष महोदय ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए गठित समिति के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराने के लिए निदेशक-अभियांत्रिक को निर्देश प्रदान किये। यह परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या :: विवेक विहार आवासीय योजना में राजस्थान
19 (4) आवासन मण्डल को भूमि आवंटन के संबंध में।

विवेक विहार आवासीय योजना के अनुमोदित ले-आऊट प्लान में राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित की जाने वाली भूमि की दर के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सचिव प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा 4500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि आवंटन करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है किन्तु मण्डल अधिकारियों द्वारा पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 2011 द्वारा 60 बीघा भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु मानते हुए 60 बीघा भूमि की राशि का ही भुगतान किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस संबंध में बैठक में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल को लिखा जावे कि निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करने पर ही भूमि का आवंटन किया जा सकता है:-

OK
Sh

1- राजस्थान आवासन मण्डल आगामी एक माह अर्थात् दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि के 60 प्रतिशत (लगभग 60 बीघा भूमि) भूमि की कीमत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर, अर्थात् 4500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर भुगतान करें।

2- चूंकि उक्त 100 बीघा भूमि विवेक विहार आवासीय योजना का ही अभिन्न अंग है। अतः उक्त 100 बीघा भूमि का योजना मानचित्र प्राधिकरण से अनुमोदित करवाया जावे।

3- शेष रही 40 प्रतिशत भूमि में से विक्रय योग्य क्षेत्रफल प्राधिकरण के स्वामित्व का रहेगा और उससे प्राप्त आय प्राधिकरण को देय होगी।

4- उक्त संपूर्ण क्षेत्र में विकास कार्य यथा सड़क, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था, सीवरेज आदि का कार्य राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा करवाया जावेगा। हाईटेशन लाईन को विस्थापित करने का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर राजस्थान आवासन मण्डल को उपरोक्तानुसार मांग-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया तथा राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में इस भूमि को आवासीय व वाणिज्यिक भूखण्ड की योजना बनाई जाकर निस्तारित कर दिया जाय, ताकि प्राधिकरण को समुचित आय हो सके।

प्रस्ताव संख्या :: आफरी को डिमाण्ड नोट जारी करने के संबंध में।
19 (5)


जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित गांव ढण्ड व गांव जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 12 खसरा संख्या 685 में से जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1989 व आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 1989 के अनुसार ग्राम ढण्ड में स्थित खसरा संख्या 12 कुल रकबा 40 बीघा आफरी को सेट अपार्ट की गयी थी। इसी प्रकार ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 685 में से रकबा 46 बीघा व 60 बीघा भूमि आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1989 व दिनांक 15 सितम्बर, 1989 के अनुसार आफरी को सेट अपार्ट की गई थी। वर्तमान में भी उपरोक्त भूमि पर मौका रिपोर्ट आफरी का कब्जा है। आफरी के निदेशक द्वारा जिला कलक्टर, जोधपुर को पत्र दिनांक 21 जून, 2005 के द्वारा पूर्व में से अपार्ट की गई भूमि को आवंटित करने बाबत निवेदन किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित भूमि को आवंटन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है। पूर्व में भी ग्राम ढण्ड में स्थित खसरा संख्या 3 की भूमि जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1989 द्वारा आफरी तत्पश्चात् आयुर्वेद विभाग को सेट अपार्ट की गयी थी जिसे बाद में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तान्तरित की गई है। ग्राम ढण्ड की हस्तान्तरित भूमि में से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2 बीघा भूमि को जोधपुर विद्युत वितरण निगम को कीमतन आवंटित की गयी है। शेष उपलब्ध भूमि पर भी आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार खसरा संख्या 685 में से रकबा 46 बीघा व 60 बीघा तथा खसरा संख्या 12 रकबा 40 बीघा को भी जिला कलक्टर, जोधपुर से प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के लिए अनुरोध किया जावे तथा तत्पश्चात् चूंकि उक्त भूमि आफरी द्वारा उपयोग में ली जा रही है। अतः कीमतन आवंटन के लिए डिमाण्ड नोट जारी किया जाना उचित है।

बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार डिमाण्ड नोट ऑफरी को जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: शहर में विज्ञापन के लिए यूनियोपल की व्यवस्था
19 (6) लागू किये जाने बाबत।

बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में विशेषकर जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन के लिए विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा होर्डिंग्स, साईन बोर्ड, फलेक्सिशीट आदि लगाये जाते हैं। जिससे शहर का सौन्दर्य खराब होता है। अतः आगामी 2 माह पश्चात् यूनियोपल के माध्यम से ही विज्ञापन किये जाने की बाध्यता लागू की जावे। होर्डिंग्स व साईन बोर्ड पर प्रतिबन्ध लगाया जावे। बैठक में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि दिनांक 1 फरवरी, 2012 से जोधपुर नगर निगम, जोधपुर क्षेत्र में विज्ञापन के लिए यूनियोपल के माध्यम से प्रकाशन ही अनुज्ञेय होगा होर्डिंग्स व साईन बोर्ड पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाता है। उक्त प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जावे।


तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2011/ DC/1801-III/567-93 दिनांक : 9 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 3- जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
- 4- महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
- 5- जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर
- 6- जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
- 7- आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 8- शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 9- उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
- 10- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
- 11- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 12- मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 13- वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
- ✓ 14- ओसवाला डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर को वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
- 15- -----


सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



567-93

9/11/11 परिशिष्ट-1

दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को प्रातः 11.00 बजे श्री रमेश के. जैन, सभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री सिद्धार्थ महाजन, जिला कलक्टर एवं आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री रामजीवन मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
3. श्री के.सी. गोदानी, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री एम.एम. फुलवारिया, अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री एस.आर. जोशी, उप आवासन आयुक्त-1, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
6. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
7. श्री पी.एस. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
8. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री वी.के. जैन, रिजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
10. श्री विजय कुमार, निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-2

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को प्रातः 11.00 बजे श्री रमेश के. जैन, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट-2

क्र. सं.	संस्था का नाम	आवंटन का प्रयोजन	आवेदित क्षेत्रफल	दर जिस पर आवंटन की मांग	प्राधिकरण की नियम दर
1.	सलाहकार (इन्फ्रा) द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र काकाणी की एवं खारा बेरा में रीको को भूमि आवंटन	रीको कॉलोनी हेतु			
	1- काकाणी		8-04 बीघा	आवासीय दर	आवासीय दर
	2- निम्बला		5-12 बीघा		
	3- खाराबेरा पुरोहितान		244-11 बीघा		
2.	महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल द्वारा सशस्त्र सीमा बल को जोधपुर में 2 बटालियन हेतु भूमि आवंटन	बटालियन हेतु भूमि	85 एकड़	आवासीय आरक्षित दर	आवासीय आरक्षित दर
3.	उप निदेशक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नवजीवन योजना के छात्रावास संचालन हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन	छात्रावास हेतु	5 बीघा	आवासीय आरक्षित दर	आवासीय आरक्षित दर
4.	Executive Engineer (C&M) RVPN Jodhpur द्वारा 220 केवीए जीएसएस हेतु डांगियावास में भूमि आवंटन	जीएसएस हेतु	40 बीघा	आवासीय आरक्षित दर	आवासीय आरक्षित दर
5.	Executive Engineer (C&M) RVPN Jodhpur द्वारा 220 केवीए जीएसएस हेतु बावरला में भूमि आवंटन	जीएसएस हेतु	26 बीघा	आवासीय आरक्षित दर	आवासीय आरक्षित दर
6.	अधिशापी अभियन्ता (सी जोन) द्वारा 33/11 केवीए सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन	32/11 केवीए	15-18 बीघा	आवासीय आरक्षित दर	आवासीय आरक्षित दर
7.	राजस्थान प्राथमिक विद्यालय राधाकृष्णपुरम नगर ग्राम चौखा	विद्यालय हेतु भूमि	2 बीघा	आवासीय आरक्षित दर	निःशुल्क
8.	एम्स संस्थान	अन्य परियोजनाओं हेतु विस्तार हेतु	50 एकड़		
9.	शिक्षा विभाग को राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय संजय कॉलोनी दासनी	विद्यालय	भूखण्ड संख्या 71 संजय कॉलोनी दासनी	निःशुल्क	निःशुल्क
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर	उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु	ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 209 में 4.5 बीघा		


11.	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवाल बस्ती खेमे का कुआ	विद्यालय	पूर्वी पाल योजना खसरा संख्या 1022/740 में 1 बीघा	निःशुल्क	निःशुल्क
12.	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शोभावतों की ढाणी, जोधपुर	विद्यालय	पूर्वी पाल योजना खसरा संख्या 1022/740 में 1 बीघा	निःशुल्क	निःशुल्क
13.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), वन विभाग, जोधपुर	रेस्क्यू सेंटर	ग्राम लूणी खसरा संख्या 717 रकबा 36-14 बीघा किस्म गैर मुमकिन ओरण में से 2 बीघा	निःशुल्क	
14.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुडी भगतासनी, सांगरिया	विद्यालय	खसरा संख्या 269 या विवेक विहार योजना में	निःशुल्क	निःशुल्क
15.	उपनिदेशक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जोधपुर	वृद्धाश्रम हेतु	खसरा संख्या 740/1011 रकबा 15 बीघा में से 1 एकड	निःशुल्क	निःशुल्क
16.	जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट, जोधपुर	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना	सालावास में 25 बीघा		डी.एल.सी. दर
17.	उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जोधपुर	मानसिक विमंदन गृह व छात्रावास हेतु भूमि आवंटन	10 बीघा	निःशुल्क	निःशुल्क
18.	राजस्थान राज्य परिवहन निगम लिमिटेड	आर.ओ.बी. में आने वाली 4531-96 वर्ग मीटर भूमि के बदले भूमि आवंटन			
19.	राजस्थान कृषि उपज मण्डी	आर.ओ.बी. में आने वाली 2129-18 वर्ग मीटर भूमि के बदले भूमि आवंटन			
20.	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र हेतु	खसरा संख्या 677 में 2000 वर्ग मीटर		

जोजरी नदी का पर्यटन की दृष्टि से विकास

जोजरी नदी को पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिये प्रारंभिक योजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है इस हेतु निगम तथा जो.वि.प्रा. के अभियन्ताओं के एक दल को अहमदाबाद भेजकर सावरमती रीवर फन्ट प्रोजेक्ट से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा हाल ही में इसी परियोजना के सलाहकारों के एक दल ने जोधपुर आकर जोजरी नदी एवं इसके आस पास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया है।

प्रथम चरण में बनाड़ से सालावास तक जोजरी नदी एवं इस के आस पास उपलब्ध सरकारी भूमियों का सर्वेक्षण कर सीमा बन्दी की योजना, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने एवं सम्बन्धित भूमि को परियोजना के विकास हेतु जोधपुर नगर निगम को आवंटन करने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नदी तथा आस-पास के क्षेत्रों का **Total Station Survey** करवाया जाना आवश्यक है। इस कार्य में लगभग रू० 60 लाख की आवश्यकता होगी।

द्वितीय चरण में नदी के जरिये वर्षा की सुरक्षित निकासी, नौकायान से सम्बन्धित आवश्यक कार्य रिकलेम की गई भूमि पर रिक्रियेशन सेन्टर, हेरीटेज प्लाजा, फूड प्लाजा, पार्को, सांस्कृतिक केन्द्रों एवं अन्य जनोपायोगी सुविधाओं के निर्माण के लिये **Feasibility Report** तैयार करने का कार्य किया जावेगा। नौकायान के लिये शहर से एकत्रित एवं शोधित अपशिष्ट जल एवं बढ़ते भूजल की समस्या निदान हेतु पम्प किये जा रहे जल का उपयोग किया जावेगा।


अधीक्षण अभियन्ता
जोधपुर नगर निगम

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्राधिकरण द्वारा शहर में कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति।

शहर के सुनियोजित विकास एवं यातायात की सुगमता के लिये 47 सड़को को चार लेन निर्माण के लिये चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में 18 सड़को के कार्य की निविदाये आमंत्रित की गई जिसमें 11 सड़को के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा शेष 07 सड़को के कार्य निविदा प्रक्रिया में हैं। जिनकी प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

1. निम्न सड़को के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है :-

क्र. सं.	सड़क का विवरण	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)
1.	वासनी पुल से चौपासनी रोड तक बाया एम्स, पाल रोड अणदाराम परिहार स्कूल 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य।	3367.00
2.	सरदारपुरा डी रोड को 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।	350.00
3.	डी.आर.एम ऑफिस से गोल विल्डिंग चौराहा बाया नेहरू पार्क को 4 लेन सड़क निर्माण	180.00
4.	रोटरी चौराहा द्वितीय से शास्त्री सर्किल -आई.टी.आई. चौराहा तक 4 लेन सड़क निर्माण।	400.00
5.	ई.एस.आई. हॉस्पिटल (कमला नेहरू नगर) रोड 4 लेन सड़क निर्माण।	640.00
6.	घडी तिराहा से सालासर हण्डलुम तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।	400.00
7.	अणदाराम स्कूल से डाली बाई मंदिर होते हुए राजीव गांधी नगर तक 4 लेन सड़क निर्माण।	2500.00
8.	आखलिया चौराहे से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड होते हुए जैसलमेर बाईपास तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य।	2500.00
9.	भदवासिया रेल्वे क्रॉसिंग से सारण नगर रेल्वे क्रॉसिंग माता का थान तक 4 लेन सड़क मय डिवाइडर इत्यादि का निर्माण कार्य।	1250.00

10.	राँटरी चौराहे से न्यू पावर हाऊस तक सड़क का सौन्दर्यकरण, सुदृढीकरण एवं अन्य विकास कार्य।	501.00
11	बाया रामदेव रोड़ मसुरिया के सौन्दर्यकरण एवं 4 लेन सड़क निर्माण	510.00
	कुल योग-	12598.00

1.1 - निम्न सड़कों के कार्य निविदा प्रक्रिया में है :-

क्र. सं.	सड़क का विवरण	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)
1	पाल लिक रोड के सौन्दर्यकरण एवं ड्रेनेज का कार्य।	520.00
2	कमला नेहरू नगर एवं चादना भाखर के मध्य की सड़क को 4 लेन सड़क निर्माण।	840.00
3	पावटा से मण्डोर तक सड़क का सौन्दर्यकरण का कार्य	1266.00
	कुल योग	5146.00

1.2 - निम्न सड़कों के कार्य कार्यादेश जारी, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है :-

क्र. सं.	सड़क का विवरण	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)	विशेष विवरण
1	सरदारपुरा 7 वी रोड़ एवं 5 वी रोड़ चौराहा से सिवांची गेट तक 4 लेन सड़क निर्माण।	17760.00	विद्युत कार्य प्रगति पर है। विद्युत कार्य के बाद निर्माण करवाया जायेगा।
2	पावटा चौराहा से कालटेक्स बाया नैनीबाई का मन्दिर-स्टेडियम तक 3/4 लेन सड़क निर्माण।	360.00	विद्युत कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। विद्युत कार्य के बाद निर्माण करवाया जायेगा।

3	संपर्क सड़क के एन मुखर्जी मार्ग (रिक्तियां भैरुजी)से सज्जी मण्डी रातानाडा वाया पी.डब्ल्यू.डी. चौराहा-सैनापति भवन चौराहा 4 लेन सड़क निर्माण।	840.00	विद्युत कार्य प्रगति पर है। विद्युत कार्य के बाद निर्माण करवाया जायेगा।
4	सरदारपुरा सी रोड़ को 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।	560.00	विद्युत कार्य प्रगति पर है। विद्युत कार्य के बाद निर्माण करवाया जायेगा।
	योग	19520.00	

2.1 - यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत निम्न क्षेत्र में सीवर लाईन डाली गई है। चूकि यहां पूर्व में सड़क निर्मित नहीं है, अतः निम्न सड़कों के निर्माण के लिये कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है :-

क्र. सं.	सड़क का विवरण	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)
1	गुरु राजाराम नगर, पार्श्वनाथ नगर, गायत्री नगर (पैकेज संख्या-3)	136.00
2	भदवासिया स्कूल के पीछे स माता का थान तक दो लेन सड़क का निर्माण कार्य (पैकेज संख्या-3)	115.00
	कुल योग	151.00

2.2 - निम्न सड़कों के कार्य निविदा प्रकिया में है: -

क्र. सं.	सड़क का विवरण	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)
1	शिक्षक नगर, जयमाल नगर, शिव सागर की शेष सड़क पर सड़को का निर्माण कार्य (पैकेज संख्या-1)	133.00
2	कृष्णा नगर, ऋद्धि-सिद्धी नगर, राजीव गांधी कॉलोनी में सड़को का निर्माण कार्य (पैकेज संख्या-2)	147.00
3	गुलजार नगर, बिचला बास, न्यू परिहार नगर, (पैकेज संख्या-4)	149.00
4	पाल जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने के पश्चात् शेष सड़क निर्माण कार्य।	355.59

5	झालामण्ड जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने के पश्चात् शेष सड़क निर्माण कार्य	492.02
	कुल योग	1285.00

3.1 विवेक विहार योजना के विकास के लिये निम्न कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है :-

क्र.सं.	सड़क का विवरण	अनु. लागत (रु.लाखों में)
1.	विवेक विहार योजना में विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न बोर्डों की आपूर्ति का कार्य।	020.00
2.	विवेक विहार योजना में सेक्टर 9 हाऊसिंग बोर्ड से पाली रोड सांगरिया गांव सड़क तथा की सीवर लाईन शिफ्टिंग का कार्य।	50.00
3.	विवेक विहार योजना में सेक्टर 9 हाऊसिंग बोर्ड से पाली रोड सांगरिया गांव सड़क तक नाला निर्माण कार्य।	120.00
4.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "के" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	140.00
5.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "एल" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	100.00
6.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "एम" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	91.00
7.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "एन" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	120.00
8.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "ओ" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	118.00
9.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "एफ" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	70.00
10.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "जी" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	77.00
11.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "एच" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	80.00

	का कार्य।	
12.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "ई" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	82.00
13.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "आई" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	65.00
14.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "जे" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	70.00
15.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "सी" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	150.00
16.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "डी" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	150.00
17.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "बी" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	150.00
18.	विवेक विहार योजना में सेक्टर "ए" में डब्ल्यू बी एम एवं सरफेस पेन्टिंग का कार्य।	100.00
19.	विवेक विहार योजना के विभिन्न सेक्टर में प्लॉट एवं सड़को पर मुटाम का कार्य	150.00
	कुल योग-	1903.00

4.1 सवेदको द्वारा पूर्व में अपूर्ण छोड़े गये कार्यों की (रिस्क एण्ड कोस्ट पर) निविदाये पुनः आमन्त्रित कर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	महामन्दिर जोधपुर स्थित मानसागर में विभिन्न विकास कार्य।(रिस्क एण्ड कोस्ट)	143.00
2	लक्ष्मी नगर न्यू बीजेएस हनुवन्त ए हनुवन्त बीजेड एस ए एवं जेड एस बी में डामरीकरण का कार्य (रिस्क एण्ड कोस्ट)	85.40
	कुल योग-	228.40

4.2 निम्न सडकों का कार्य निविदा प्रक्रिया मे है :-

1	ग्रीन गेट चौराहा जवाहर कॉलोनी सरदार क्लब होते हुए वासु सेना पुलिस कार्यालय चौराहा तक सडक चौडा किये जाने का कार्य। (रिस्क एण्ड कोस्ट)	33.43
2.	सरस्वती नगर जेडीए योजना क्षेत्र की मुख्य सडक एवं विभिन्न सेक्टरों का डामरीकरण का कार्य ।	160.00

4.3 सर्वेदक द्वारा लम्बी अवधि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित की गयी है:-

1	अण्डर ब्रिज प्रथम से पीडब्ल्यू ऑफिस के आगे तक नाला सडक एवं चौराहे का निर्माण कार्य।	286.00	निविदा प्रक्रिया में है।
---	---	--------	--------------------------

5- शहर में आरयूआईडीपी द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति :-

राज्य सरकार द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत जोधपुर शहर के शेष बचे क्षेत्रों-झालामण्ड जोन (45.34 कि.मी. लाईन), पाल जोन (25.67 कि.मी. लाईन) व पूजला महामन्दिर जोन (54.00 कि.मी. लाईन) में 125 किमी भूमिगत सीवर लाईन बिछाने व सालावास स्थल पर 50 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। ये कार्य पूर्व में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा शुरू करवाये गये थे, दिनांक 1.09.2009 से यह कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न करवाये जा रहे हैं। इन कार्यों पर लगभग 61 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रावधान है। इन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृत राशि 49.32 करोड़ में से 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय द्वारा तथा शेष 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। कार्यादेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक व्यय होने वाली राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी।

जोधपुर के सालावास ग्राम में 50 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अब तक लगभग 95 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्लान्ट की विभिन्न इकाइयों में मैकेनिकल इक्विपमेन्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 30.09.2011 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

सीवरेज लाईन के कार्य अन्तर्गत 120.00 कि.मी. सीवर लाईन डाली जा चुकी है। कार्य 30.09.2011 तक पूर्ण होने की संभावना है।

क्र. सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित कार्यों की संख्या	कार्यादेश राशि लाख रुपये में	व्यय राशि
1-	यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत सीवर लाईन का कार्य।	3 Zone	2691.00	2468.00
2-	सीवररेज ट्रीटमेंट 50 एमएल डी क्षमता का प्लाण्ट, सांलावास	1	3415.00	2553.00
योग			6106.00	5021.00

6. प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की प्रगति का विवरण :-

6.1 लेवल क्रॉसिंग सी-7 (भदवासिया रेल्वे फाटक) के स्थान पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य :-

प्राधिकरण द्वारा लेवल क्रॉसिंग सी-7 के स्थान पर 4 लेन आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु जी.ए.डी. की स्वीकृति उतर पश्चिम रेल्वे, जयपुर मुख्यालय से प्राप्त हो चुकी है। चार लेन आर.ओ.बी. हेतु संशोधित जीएडी रेल्वे विभाग को भिजवा दी गई है। हे। कार्य की अनुमानित लागत रु. 35.00 करोड़ होगी। कार्यादेश दिया जा चुका है कार्य प्रगति पर है। परिवहन विभाग में शेडस व कृषि उपपज मण्डी में कार्य शुरू कर दिया गया है। दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। संवेदक द्वारा निर्धारित तिथि को ले-आउट कार्य प्रारम्भ किया गया। संवेदक द्वारा किये नीव मृदा परीक्षण एवं कन्सलटेन्ट द्वारा किये मृदा परीक्षण में अन्तर हाने के कारण, संवेदक द्वारा पुनः मृदा परीक्षण कराया गया। उक्त परीक्षण के परीणाम दिनांक 17.9.2011 को प्राप्त हो गये एवं कन्सलटेन्ट को सूचित कर दिया गया है। एनएच पर सर्विस लेन का कार्य दिनांक 11.9.2011 को चालू किया गया था, परन्तु रेल्वे की तरफ पाइप लाईन आने के कारण रोकना पडा। अधिशाषी जमियन्ता, जलदाय विभाग द्वारा पाइप लाईन को शिफ्ट करना है, विभाग द्वारा मांगी गई राशि रूपये 19.42 लाख भेजा जाना प्रस्तावित कर दिया गया है।

6.2 खतरनाक पुलिया द्वितीय (रिक्तिया भेरुजी) पर आर.यू.बी./आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य :-

खतरनाक पुलिया द्वितीय (रिक्तिया भेरुजी) पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है। अतः इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु पूर्व में वर्तमान दो लेन आर.यू.बी. के स्थान पर चार लेन आर.यू.बी. का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। इस हेतु इस कार्य की जी.ए.डी. तैयार कर स्वीकृति हेतु उतर-पश्चिम रेल्वे जोधपुर को भिजवाई जा चुकी है।

वर्तमान में इस स्थान पर आर.ओ.बी. के प्रस्ताव रू. 76.00 करोड़ लागत के बनाकर प्रस्तुत किये गये हैं। यह आर.ओ.बी. राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर प्रस्तावित है अतः राष्ट्रीय उच्च मार्ग के वार्षिक योजना में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया गया है।

6.3 नगरीय विकास विभाग एवम् मुख्य पुल अभियन्ता उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर के द्वारा जोधपुर शहर हेतु प्रस्तावित 6 आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु रिपोर्ट तैयार करने का कार्य :-

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर एवम् मुख्य पुल अभियन्ता उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर के पत्रानुसार पूरे राजस्थान में 50 लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य कोस्ट शेयरिंग पद्धति पर प्रस्तावित हैं। इन 50 लेवल क्रॉसिंग में से जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निम्नलिखित 6 लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आर.ओ.बी./आर.यु.बी. का निर्माण कार्य प्रस्तावित है:-

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. पावटा वी रोड़ (लेवल क्रॉसिंग सी-2) | - आर.यु.बी. प्रस्तावित 15.00 करोड़ |
| 2. भाणकलाव (लेवल क्रॉसिंग सी-18) | - आर.ओ.बी. प्रस्तावित 32.00 करोड़ |
| 3. आर.टी.ओ. ऑफिस रोड़ से (लेवल क्रॉसिंग सी-168) | - आर.ओ.बी. प्रस्तावित 46.00 करोड़ |
| 4. सारण नगर रेल्वे फाटक (लेवल क्रॉसिंग सी-165) | - आर.ओ.बी. प्रस्तावित 75.00 करोड़ |
| 5. बनाड़ से जाजोवाल रोड़ (लेवल क्रॉसिंग सी-160)अ | - आर.ओ.बी. प्रस्तावित 30.00 करोड़ |
| 6. खतरनाक पुलिया प्रथम डी.आर.एम. कार्यालय के पास
(सी-71) | -आर.यु.बी. प्रस्तावित 10.00 करोड़ |

जोधपुर विकास प्राधिकरण ने उपरोक्त 6 आर.ओ.बी. की प्री-फिजीविलिटी रिपोर्ट कन्सलटेंट से तैयार कर आर.आर.यु.डी.पी. जयपुर के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेल्वे मुख्यालय जयपुर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी है। प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर पश्चिम रेल्वे मुख्यालय जयपुर से समस्त आर.ओ.बी./आर.यु.बी. के प्रकरण स्वीकृति हेतु रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली को प्रेशित किये जा चुके हैं। रेल्वे विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण से संबंधित आगे की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त आर.ओ.बी. निर्माण हेतु जी.ए.डी तैयार करने, डी.पी. आर. बनाने आदि का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त आर.ओ.बी. व आर.यु.बी. की कुल लागत रू. 208.00 करोड़ होगी। राज्य सरकार द्वारा इरकोन इण्टरनेशनल लिमिटेड से कार्य करवाने का निर्णय लिया गया है। तथा उनके द्वारा जोधपुर में कार्यालय स्थापित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

6.4 मोहनपुरा (सोजती गेट) आर. ओ. बी. निर्माण :-

मोहनपुरा पर स्थित आर. ओ. बी. के पुनर्निर्माण हेतु कन्सलटेन्सी की निविदाएँ आमन्त्रित की गई हैं। चार लैन आर.ओ.बी. कुल लागत लगभग 47.00 करोड़ रु. होगी।

जांधपुर विकास प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु क्रम संख्या 2,3,4 में वर्णित आर. ओ. बी./आर.यू.बी. निर्माण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जा चुके हैं।

7 उम्मेद अस्पताल में लेबर कॉम्प्लेक्स के विस्तार एवं आधुनिकरण का कार्य (266.00 लाख)

माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की अनुपालना में उम्मेद अस्पताल प्रशासन से विस्तृत चर्चा कर जांधपुर विकास प्राधिकरण ने उम्मेद अस्पताल की वर्तमान प्रसूताओं की समस्या के समाधान हेतु अस्पताल के लेबर कॉम्प्लेक्स के विस्तार एवं आधुनिकरण की योजना बनाकर कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1	कार्य का नाम	<ul style="list-style-type: none"> उम्मेद अस्पताल में लेबर कॉम्प्लेक्स के विकास एवं आधुनिकरण कार्य। 	
2	अनुमानित लागत	<ul style="list-style-type: none"> सिविल कार्य 1.16 करोड़ वातानूकुनल 1.5 करोड़ 	•
3	स्वीकृति	<ul style="list-style-type: none"> सिविल कार्य हेतु 1.16 करोड़ रुपये जेडीए द्वारा स्वीकृत वातानूकुनल हेतु रु 1.5 करोड़ की व्यवस्था हेतु अस्पताल प्रशासन प्रयासरत् 	
4	विकास कार्य का विवरण	<ul style="list-style-type: none"> लेबर कॉम्प्लेक्स का विस्तार इस हेतु वर्तमान एन्टीनेटल वार्ड को लेबर कॉम्प्लेक्स का भाग बनाया जायेगा। 70 शय्याओं की क्षमता विकसित की जायेगी तथा आवश्यकता होने पर क्षमता को 100 शय्याओं तक बढ़ाया जा सकेगा। 3-3 शय्याओं वाले 3 वलीन लेबर रूम विकसित किये जायेगे। 2 शय्याओं वाला 1 सेप्टिक लेबर रूम विकसित किया जायेगा। 1-1 शय्याओं वाले एचआईवी लेबर एवं अन्य रोग से पीडित लेबर रूम का विकास किया जायेगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवजात शिशुओं का कमरा बनाया जायेगा। 3 शय्याओं का लेबर एग्जामिनेशन रूम बनाया जायेगा। जिसमें एक शय्या मय 	वर्तमान में प्रगति पर है। एन्टी नेटल वार्ड एवं लेबर कॉम्प्लेक्स का एन्टीबैक्टीरियल का कार्य प्रगति पर है। अन्य वार्ड जैसे-जैसे अस्पताल प्रशासन द्वारा खाली कर के दे रहे हैं, कार्य करवाया जा रहा है।

६

	<p>सोनोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • डॉक्टर, नर्स एवं सहायक के लिए अलग अलग चेन्ज रूम होंगे। • बच्चों के डॉक्टर के लिये अलग कमरा होगा। • शिक्षारत विधार्थियों को वही पर शिक्षा प्रदान करने हेतु 1 कॉम्प्रेहेंसिव रूम होगा। • प्रतिकारत गर्भवती महिलाओं के लिये 3 अलग अलग श्रेणी के वार्ड बनाये जायेगे। • आवाक जावक व्यवस्था कम्प्यूटर कृत होगी। • परिजनो के बैठने की समुचित व्यवस्था की जायेगी। • भविष्य मे ऑपरेशन थियेटर में जाने हेतु अलग से लिफ्ट लगाई जा सके इसका प्रावधान रखा जा सकेगा। • लेबर कॉम्प्लेक्स वातानुकूलित होगा। 	
--	--	--

Ex

—:: राम तलाई, चैनपुरा का विकास कार्य ::—

- प्राचीन समय में इस तलाई का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने में किया जाता था। समय उपरान्त इस तलाई में पानी की सभी आवक लगभग बंद हो चुकी है। इस क्षेत्र के सुनियोजित विकास एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिये इसको पार्क के रूप में विकसित एवं सौन्दर्यकरण करने का कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुभव रखने वाली परामर्शदात्री फर्म से राम तलाई, के सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य का ले-आउट प्लान तैयार करवाया गया था।
- राम तलाई, स्थित नाड़ी के मूल स्वरूप बिना परिवर्तन किये इसके सौन्दर्यकरण का कार्य यथा पार्क का विकास, बच्चों के झूले इत्यादि लगाये जाने सम्मिलित है।
- नाड़ी में भूमिगत नाली के माध्यम से जल प्रवाहित कर छोटी झील का स्वरूप दिया जाना प्रस्तावित है।
- नाड़ी के चारों ओर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हेतु दर्शकदीर्घा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- इस के विकास एवं रख रखाव हेतु इस स्थल को शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए किराये पर देने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

①

— नया तालाब, (नागौरी गेट के अन्दर) का विकास कार्य ::—

- नया तालाब एक प्राचीन जलाशय है जो नागौरी गेट के अन्दर चार दीवारी क्षेत्र में स्थित है। पूर्व में इस जलाशय में वर्षा जल नहर द्वारा एकत्रित किया जाता था। वर्तमान में इस जलाशय में वर्षा जल की आवक पूर्णतः बंद हो चुकी है। इस जलाशय की परिधि के चारों तरफ मकान निर्मित हो चुके हैं एवं सभी निर्मित आवासीय क्षेत्रों से दूषित जल इसमें प्रवाहित किया जाता है इस दूषित जल के कारण आस-पास का वातावरण प्रदूषित होकर क्षेत्रवासियों का जीवन नारकीय हो गया है। वातावरण एवं पर्यावरण की शुद्धता, आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों को इस गन्दगी से निजात दिलाने हेतु इस जलाशय को पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुभव रखने वाली परामर्शदात्री फर्म को कार्य आदेश जारी किया गया है।
- परामर्शदात्री फर्म द्वारा नया तालाब क्षेत्र की टोटल स्टेशन यंत्र द्वारा सर्वे कर इसका सर्वे प्लान तथा कन्टूर प्लान तैयार कर लिया है अन्य विकास के कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदात्री द्वारा तैयार की जा रही है।

६

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उम्मेद उद्यान में बच्चों के मनोरंजन हेतु बी.ओ.टी. आधार पर टॉय ट्रेन लगाने का कार्य।

प्राधिकरण द्वारा उम्मेद उद्यान में बच्चों के मनोरंजन हेतु बी.ओ.टी. आधार पर टॉय ट्रेन चलाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव अनुसार कार्य की लागत लगभग 50.00 लाख रुपये होगी। टॉय ट्रेन की लम्बाई 650 मीटर होगी तथा इसमें 10 कोच होंगे जिनमें 150 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। प्रस्ताव अनुसार फर्म नियम वर्षों तक टॉय ट्रेन का संचालन करेगी एवं तत्पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर होगी।

टॉय ट्रेन का स्वरूप इस तरह से होगा कि उम्मेद उद्यान के मूल स्वरूप एवं हरियाली यथावत् बनी रहेगी एवं सड़क मार्ग अन्य गतिविधियों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। टॉय ट्रेन संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर शहर के लिये चार लेन रिंग रोड का निर्माण

कार्य की सूची

जोधपुर शहर वर्तमान में महानगर का रूप ले चुका है। इस शहर में पॉच और से राष्ट्रीय मार्ग से प्रवेश लिया जा सकता है। इन राष्ट्रीय मार्ग से आने वाला भारी वाहन वर्तमान में जोधपुर शहर में से होकर गुजरता है। जिससे होने वाले दुर्घटनाओं को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में बाईपास बनाने हेतु आदेश दिये थे। उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जयपुर से आने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग से जैसलमेर जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग तक दो लेन के बाईपास का निर्माण किया गया था। वर्तमान भारी वाहन की आवागमन को देखते हुये यह आवश्यक हो गया कि जोधपुर शहर के चारों ओर चार लेन की रिंग रोड का निर्माण करवाया जावे ताकि किसी भी ओर से आने वाली भारी वाहन को शहर में प्रवेश से रोका जा सके एवं दुर्घटनाओं से बचा जा सकें।

इस परिकल्पना का सार्थक बनाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर एक प्राथमिक सर्वेक्षण कराया गया है एवं यह पाया गया है की जोधपुर शहर के चारों ओर के मार्गों पर यातायात को देखते हुये यह सम्भव प्रतित होता है कि निर्माण में आने वाली लागत के काफी हिस्से की वसूल टोल टेक्स के माध्यम से आने वाले समय में की जा सकेगी। अतः इस रिंग रोड का निर्माण वर्तमान में प्रचलित किसी भी एक पी.पी.मॉडल पर किया जा सकता है। इस रिंग रोड की लम्बाई 100 किलोमीटर है।

